VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं

त्रैमासिक रिवीजन

दिसंबर, 2024 - फरवरी 2025

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2026

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- प्री फाउंडेशन कक्षाएं
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

DELHI : 11 सितम्बर, 2 PM | **JAIPUR : 20 जुलाई** | **JODHPUR : 15 सितम्बर**

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई

10 in Top 10 Selections in CSE 2024 (from various programs of VISIONIAS)

हिन्दी माध्यम में 30+ चयन

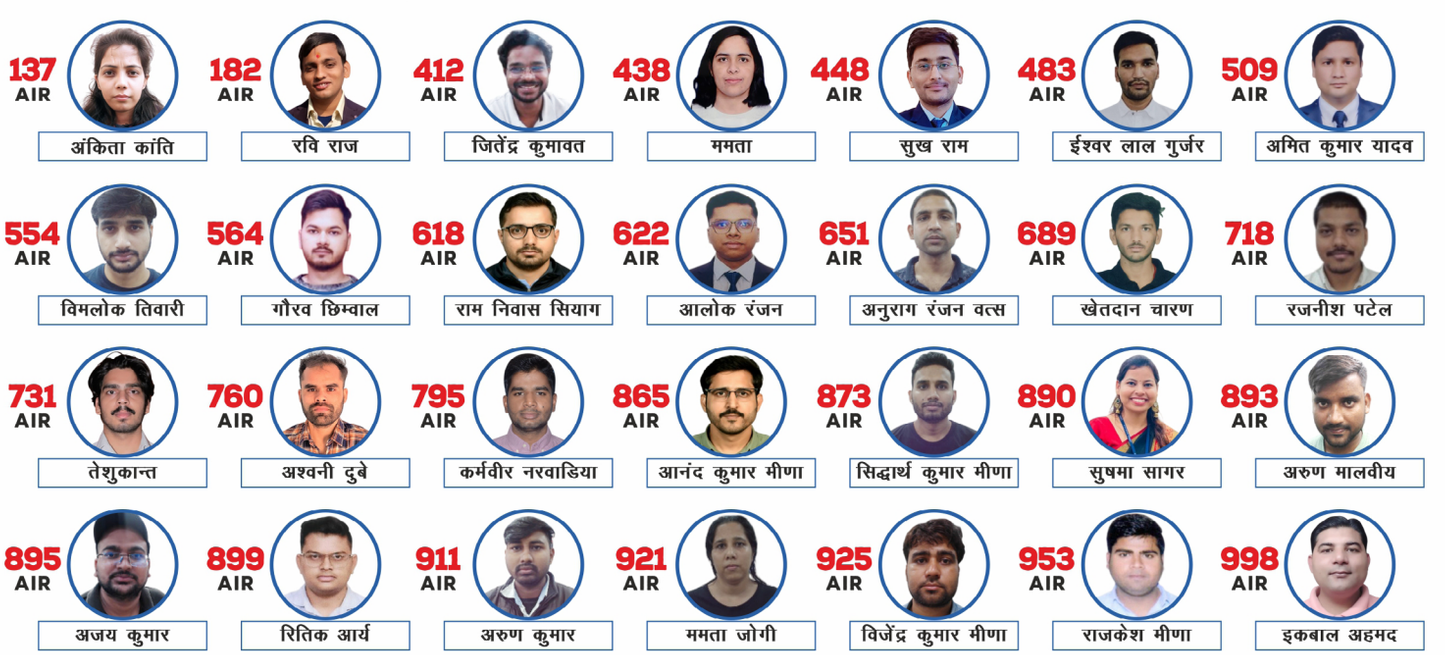

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थी,

हमें **"सरकारी योजनाएं: त्रैमासिक रिवीजन (दिसंबर, 2024 – फरवरी 2025)"** डॉक्यूमेंट जारी करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। इस डॉक्यूमेंट का मुख्य उद्देश्य निरंतर सीखने की प्रक्रिया को और बढ़ावा देना है।

इस डॉक्यूमेंट को इस तरह से तैयार किया गया है कि अभ्यर्थी **कम समय में रिवीजन** कर सकेंगे और उसे याद भी रख सकेंगे, **ताकि परीक्षा की अंतिम घड़ी के दौरान तनाव कम रहे।**

"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट" को तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है:

- **सुर्ख़ियों में रही योजनाएं:** इस भाग में कमोबेश पिछली तिमाही के दौरान सुर्ख़ियों में रही योजनाओं को शामिल किया गया है।
- **सुर्ख़ियों में रही फ्लैगशिप योजनाएं:** इस भाग में सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण भारत सरकार की "फ्लैगशिप योजनाओं" को शामिल किया गया है।
- **अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए:** अपनी तैयारी और टॉपिक की समझ का परीक्षण करने के लिए दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास कीजिए।

आपकी सफलता ही हमारी प्राथमिकता है और हमें उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट आपके लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
A.I.T.S
GS PRELIMS TEST SERIES 2026

ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम

कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली

30 टेस्ट
5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट

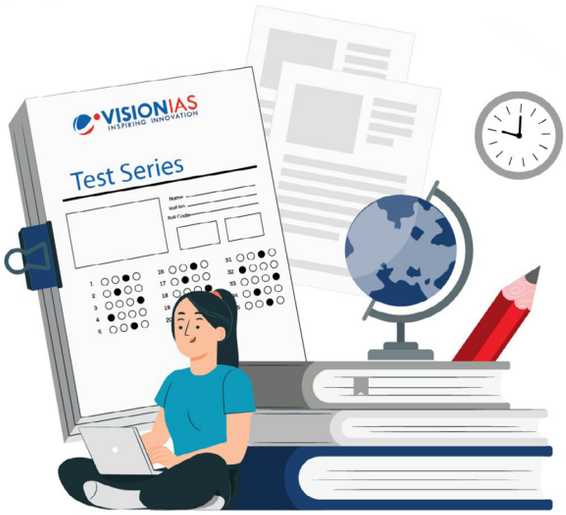

2026 | ENGLISH MEDIUM 7 SEPTEMBER | हिन्दी माध्यम 7 सितम्बर

विषय-सूची

1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS) 5

1.1. डिजिटल कृषि मिशन (DAM) {Digital Agriculture Mission (DAM)} 5

1.1.1. कृषि मंत्रालय (Ministry Of Agriculture) 5

1.1.2. प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) (Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan: PM-AASHA) 7

1.1.3. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: PMFBY) 8

1.1.4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) कैफेटेरिया स्कीम {Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) Cafeteria Scheme}.....10

1.2. सुकन्या समृद्धि खाता (SSA) योजना {Sukanya Samriddhi Account (SSA) Scheme} 13

1.2.1. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) 13

1.2.2. एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme - UPS) 14

1.3. आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission: ABHIM).....15

1.3.1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare) ..15

1.3.2. आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना {Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY)} 17

1.3.3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission: NHM).....21

1.4. जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti).....25

1.4.1. जल जीवन मिशन (JJM): हर घर जल {Jal Jeevan Mission (JJM): Har Ghar Jal}.25

1.5. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship).28

1.5.1. कौशल भारत कार्यक्रम (Skill India Programme) 28

1.6. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development).....30

1.6.1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Bachao Beti Padhao: BBBP) 30

2. सुर्ख़ियों में रही प्रमुख योजनाएं (Flagship Schemes in Focus) 32

2.1. प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) - राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन {Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) - National Mission for Financial Inclusion}.....32

2.2. मिशन शक्ति: महिलाओं के संरक्षण एवं सशक्तीकरण हेतु एक एकीकृत मिशन (Mission Shakti: An Integrated Women Empowerment Programme) 33

3. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING) 37

1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

1.1 कृषि मंत्रालय (Ministry Of Agriculture)

1.1.1. डिजिटल कृषि मिशन (DAM) {Digital Agriculture Mission (DAM)}

संदर्भ

हाल ही में, **गुजरात** डिजिटल कृषि मिशन के तहत राज्य के **25% लक्षित किसानों के लिए किसान पहचान पत्र (ID)** तैयार करने वाला **देश का पहला राज्य बन गया** है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** एक समग्र **डिजिटल कृषि इकोसिस्टम** का विकास करना, जो किसानों को समय पर सटीक फसल और कृषि संबंधी जानकारी तथा नवीन तकनीकी समाधान प्रदान करे।
- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक** की एक योजना है। हालांकि, इसके तहत 'राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को प्रदान की जाने वाली सहायता' नामक घटक **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- **अपेक्षित लाभार्थी:** किसान।
- **कार्यावधि:** 5 वर्ष यानी वित्त-वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक।

अन्य उद्देश्य

- सरकारी कार्यक्रमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए **किसान-केंद्रित डिजिटल इकोसिस्टम** का निर्माण करना।
- **तथ्यों/ आंकड़ों के आधार पर निर्णय** लेने में सरकार की सहायता करना।
- कृषि-प्रौद्योगिकी में **सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक में नवाचार एवं साझेदारी** को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:**
  - **2010-11 में कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGPA) की शुरुआत** सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग करके की गई थी। इसका उद्देश्य **समय पर कृषि संबंधी जानकारी प्रदान** करना था। इसे **2020-21** में डिजिटल तकनीकों को अपनाने के लिए अपडेट किया गया था।
  - **डिजिटल कृषि मिशन (DAM)** अब सरकारों एवं संस्थानों द्वारा **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, फसल अनुमान और IT परियोजनाओं** जैसी पहलों का समर्थन करता है।

डिजिटल कृषि मिशन के तहत कार्यक्रम और योजनाएं:

- **एग्री स्टैक (किसान की पहचान):** यह किसानों को दक्ष सेवाएं प्रदान करने के लिए **'आधार'** जैसी डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था है। यह संघीय प्रणाली में केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से निर्मित है। इसमें **तीन प्रमुख कृषि रजिस्ट्रियां/ डेटाबेस** शामिल हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (DSS):**
  - उपग्रह, मौसम, मिट्टी, फसलों और सरकारी योजनाओं के लिए **भू-स्थानिक एवं गैर-भू-स्थानिक डेटा को एकीकृत** करती है।
  - राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति के अनुरूप **फसल मानचित्रण, विविधीकरण और बीमा दावों का समर्थन** करती है।
- **राष्ट्रव्यापी मृदा संसाधन मानचित्रण परियोजना:**
  - इसे **भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण (SLUSI)** द्वारा शुरू किया गया है। यह **1:10,000 पैमाने** पर गांव स्तर की मिट्टी का मानचित्रण करने के लिए उपग्रहों से और भूमि आधारित सुविधाओं से प्राप्त उच्च-रिज़ॉल्यूशन डेटा का उपयोग करती है।
  - संधारणीय कृषि और बेहतर भूमि व फसल योजना के लिए **विस्तृत मृदा प्रोफाइल एवं मानकीकृत मानचित्र** बनाती है।

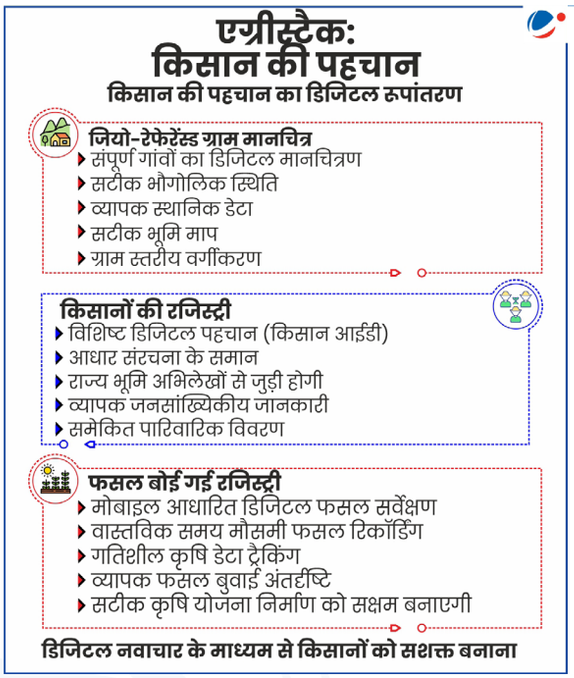

- **डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (Digital General Crop Estimation Survey: DGCES):**
  - **राज्य स्तरीय योजना से लेकर फसल कटाई प्रयोगों की फील्ड डेटा रिकॉर्डिंग और रिपोर्ट तैयार** करने तक सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (GCES) प्रक्रिया को स्वचालित करना।
- **आईटी पहल समर्थन:** मिशन के तहत राज्यों और अन्य संगठनों को आईटी पहल समर्थन तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आईटी-संबंधित गतिविधियों के लिए समर्थन शामिल है।
- **महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (MNCFC) को सहायता:**
  - **फसल/FASAL** (अंतरिक्ष, कृषि-मौसम विज्ञान और भूमि आधारित पर्यवेक्षणों का उपयोग करके कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान लगाना) के अंतर्गत **फसल रकबा (Acreage) एवं उत्पादन का अनुमान लगाना तथा बागवानी फसलों का मूल्यांकन** करना।

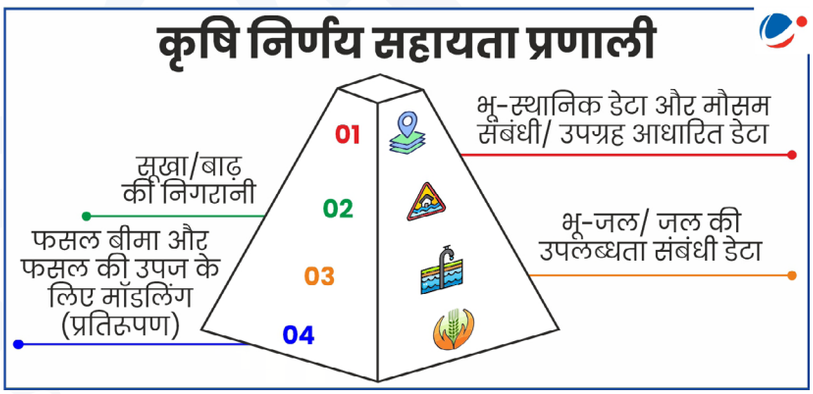

  - राज्यों के लिए **सूखे की निगरानी, मौसम ट्रैकिंग और भू-स्थानिक प्रशिक्षण** में सहायता करना।
  - **प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए तकनीकी भागीदार** तथा क्षेत्र विश्लेषण, स्मार्ट सैंपलिंग और उपज विवाद समाधान में सहायता करना।

योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे:

- **ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन:** कई क्षेत्रों में अभी भी विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी और विद्युत की कमी है, जिससे डिजिटल कृषि उपकरणों का प्रभावी उपयोग बाधित होता है।
- **अवसंरचना की कमी:** दूरस्थ और दूरदराज के गाँवों में बुनियादी डिजिटल अवसंरचना अपर्याप्त है, जिससे डिजिटल कृषि प्रबंधन (DAM) पहुँच और इसे अपनाने में बाधा आती है।
- **उच्च प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता:** डिजिटल तकनीकों में अक्सर पर्याप्त प्रारंभिक लागत शामिल होती है, जिसे छोटे किसान वहन नहीं कर पाते।
- **विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियां:** भारत के विविध कृषि-जलवायु क्षेत्र और विषम कृषि पद्धतियां "सभी के लिए समान" डिजिटल समाधान विकसित करने को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी और लक्षित सरकारी योजनाओं के माध्यम से **ग्रामीण डिजिटल अवसंरचना को मजबूत** करना। **छोटे और सीमांत किसानों** को डिजिटल उपकरण अपनाने के लिए **वित्तीय सहायता प्रदान** करना। विविध कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त **क्षेत्र-विशिष्ट एवं अनुकूलन योग्य डिजिटल समाधानों** को बढ़ावा देना।

1.1.2. प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) (Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan: PM-AASHA)

संदर्भ

हाल ही में, भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) को 15वें वित्त आयोग की अवधि के अनुरूप, वर्ष 2025-26 तक विस्तारित किया जाएगा।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करना।
- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक** की एक योजना है।
- **कुल परिव्यय:** 15वें वित्त आयोग अवधि (2025-26 तक) के दौरान 35,000 करोड़ रुपये।
- **अवधि:** 2025-26 तक।

अन्य उद्देश्य

किसानों को उनकी उचित औसत गुणवत्ता वाली उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** यह एक अम्ब्रेला योजना है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय बजट 2018 की घोषणा के अनुसार किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है।

घटक:

- मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme: PSS);
- मूल्य स्थिरीकरण कोष (Price Stabilization Fund: PSF);
- मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (Price Deficit Payment Scheme: PDPS); तथा
- बाजार हस्तक्षेप योजना (Market Intervention Scheme: MIS)।

मूल्य समर्थन योजना (PSS):

- इसके तहत, सरकार **उचित औसत गुणवत्ता (FAQ) मानकों को पूरा करने वाली अधिसूचित दालों, तिलहन और खोपरा की खरीद** करती है। **केंद्रीय नोडल एजेंसियां (CNAs)** राज्य-स्तरीय एजेंसियों के साथ मिलकर **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** पर सीधे पूर्व-पंजीकृत किसानों से खरीद करती हैं।
- सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए PSS के तहत **तुअर (अरहर), उड़द और मसूर की 100% खरीद** की अनुमति दी है। बजट 2025 में, सरकार की घोषणा के अनुसार दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए **यह खरीद उपाय अगले चार वर्षों** तक जारी रहेगा।

मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) के अंतर्गत हस्तक्षेप:

- इस कोष का उद्देश्य कृषि एवं बागवानी उत्पादों के मूल्यों में होने वाले तीव्र उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना है।
- इसके तहत जमाखोरी पर अंकुश लगाने और कीमतों को वहनीय बनाए रखने के लिए दालों और प्याज जैसे आवश्यक उत्पादों का एक रणनीतिक बफर स्टॉक बनाया जाता है।
- इस कोष का विस्तार अब टमाटर, भारत दाल, भारत आटा और भारत चावल जैसी अन्य वस्तुओं के लिए भी कर दिया गया है।

मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (PDPS):

- यह योजना **विशेष रूप से तिलहन किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने पर केंद्रित** है।
- इसके तहत, यदि किसान अपनी **फसल को अधिसूचित मंडी में MSP से कम मूल्य पर** बेचता है, तो मूल्य के अंतर का भुगतान **(MSP के 15% की सीमा तक)** सीधे सरकार द्वारा किसान को किया जाता है।
- राज्यों के पास यह विकल्प होता है कि वे **तिलहन की खरीद के लिए PSS के स्थान पर PDPS को अपनाएं।**

बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS):

- यह योजना उन **बागवानी फसलों पर लागू होती है जो शीघ्र नष्ट** हो जाती हैं, तथा इसके दायरे में कुल उत्पादन का **25% हिस्सा** आता है।
- इसमें भौतिक रूप से फसल खरीदने की बजाय, मूल्य के अंतर का **सीधा भुगतान किसान के बैंक खाते में** किया जाता है।
- यह **किसानों और उपभोक्ताओं, दोनों के हितों में संतुलन** स्थापित करती है।

खरीद नीति: 2024-25 से **अधिसूचित दालों, तिलहन और खोपरा के राष्ट्रीय उत्पादन का 25% MSP** पर खरीदा जाएगा।

- 2024-25 सीजन के दौरान **तुअर, उड़द और मसूर** के लिए कोई खरीद सीमा नहीं है (MSP पर 100% खरीद)।

मुख्य अपडेट:

- MSP के तहत अधिसूचित फसलों की खरीद के लिए सरकारी गारंटी को बढ़ाकर 45,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- तिलहन के लिए PDPS कवरेज को राज्य के उत्पादन के 40% तक बढ़ाया गया, और कार्यान्वयन अवधि को 4 महीने तक बढ़ा दिया गया है।
- MIS कवरेज को उत्पादन के 25% तक विस्तारित किया गया है, जिसमें किसानों के खातों में सीधे अंतर भुगतान का विकल्प भी शामिल है।
- किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु टमाटर, प्याज और आलू (TOP) फसलों की कटाई के पीक सीजन के दौरान परिवहन एवं भंडारण लागत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे:

- **किसानों के पंजीकरण संबंधी समस्याएं:** किसानों को मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (PDPS) के लिए जटिल पंजीकरण प्रक्रिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **जागरूकता की कमी:** कई किसानों को अभी भी पीएम-आशा के लाभों के बारे में जानकारी नहीं है।
- **मुद्रास्फीति की चुनौती:** MSP और खरीद स्तर में वृद्धि के कारण मूल्य मुद्रास्फीति एक चुनौती बनी रहेगी।
- **निजी क्षेत्र की कम भागीदारी:** निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना को समाप्त करना पड़ा।
- योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, पीएम-आशा के लाभों के बारे में **जमीनी स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान** चलाए जाएं। प्रोत्साहनों के माध्यम से निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि **MSP वृद्धि मुद्रास्फीति प्रबंधन रणनीतियों के अनुरूप हो।**

1.1.3. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: PMFBY)

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को **2025-26 तक जारी** रखने की मंजूरी दे दी है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य: बुआई के पहले से लेकर कटाई के बाद की अवधि तक** व्यापक फसल बीमा सुरक्षा प्रदान करना।
- **प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **प्रकृति:** यह **मांग आधारित** योजना है और राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए स्वैच्छिक है।
- **लाभार्थी: अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले बटाईदारों/ काश्तकार किसानों सहित सभी किसान।**

अन्य उद्देश्य

- अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली फसल हानि/ क्षति से पीड़ित **किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी आय को स्थिर** करना तथा कृषि क्षेत्रक में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना।
- **नवीन एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों और फसल विविधीकरण को अपनाना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: PMFBY राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित NAIS** योजनाओं को प्रतिस्थापित करेगी।
  - **पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)** अभी भी जारी है।
  - **RWBCIS, फसल की पैदावार के लिए "प्रॉक्सी" के रूप में मौसम के मापदंडों का उपयोग** करती है, ताकि किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई की जा सके।
- **रबी और खरीफ के अंतर्गत आने वाली फसलें:** सभी अनाज, मिलेट्स, दालें और तिलहन।
- प्रीमियम का भुगतान **बीमित राशि के प्रतिशत या बीमांकिक प्रीमियम दर (APR) के रूप में (जो भी कम हो)** किया जाता है।
  - **APR बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम दर है।**

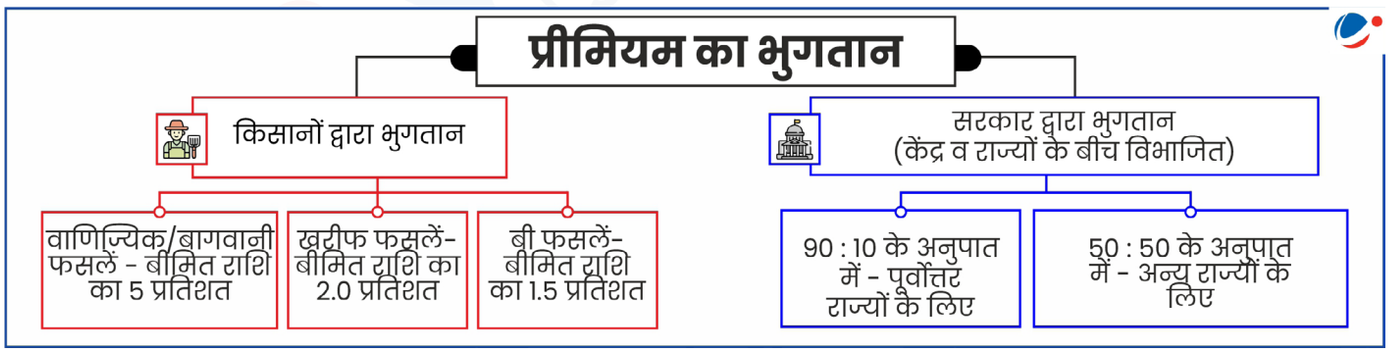

- **फसलों की बीमित राशि:**
  - **MSP वाली फसलें:** राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर राष्ट्रीय औसत उपज का या तो वित्तीय-मान या जिला स्तर पर मूल्य का चयन** कर सकते हैं।
  - **बिना MSP वाली फसलें:** जिन फसलों के लिए MSP घोषित नहीं किया जाता है, उन फसलों हेतु **फार्म गेट (खेत पर) प्राइस** ही स्वीकार किया जाएगा।

PMFBY के तहत शुरू की गई अन्य प्रमुख पहलें:

- **डिजीक्लेम:** डिजीक्लेम के तहत सभी दावों का बीमा कंपनी की बजाय **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के जरिए आंकलन** किया जाता है। हालांकि, दावों के निपटान पर किसान को एक लिंक के साथ एक SMS भेजा जाता है।
- **मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम्स (WINDS) पोर्टल:** बेहतर जोखिम मूल्यांकन के लिए केंद्रीकृत **अति-स्थानीय मौसम डेटा** प्रदान करता है।
- **प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली (YES-TECH) मैनुअल:** ग्राम पंचायत स्तर पर सटीक आकलन के लिए।
- **फॉरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रो-मेटेरोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्सर्वेशंस (FASAL) परियोजना** शुरू की गई है।
- **कृषि के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGPA):** यह ICT के माध्यम से कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करती है और अब इसे डिजिटल कृषि मिशन में शामिल कर लिया गया है।
- **इसरो का भू-प्लेटफॉर्म 'भुवन':** वृक्षारोपण, कीट और मौसम पर डेटा प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन और निगरानी प्रणाली (NADAMS)।**
- **CROPIC:** फसलों का रियल टाइम पर्यवेक्षण और फोटो का संग्रह।
- **डोर टू डोर नामांकन ऐप AIDE/ सहायक।**

PMFBY: व्यापक फसल जोखिम कवरेज

संपूर्ण जोखिम सुरक्षा

- कम वर्षा या प्रतिकूल मौसमी/ मौसम स्थितियों के कारण **बुवाई/ रोपण/ अंकुरण में देरी से जुड़े जोखिम।**
- **खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक):** रोकथाम नहीं किए जा सकने योग्य जोखिमों, जैसे-सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जलप्लावन आदि के कारण उपज हानि के लिए बीमा कवर।
- **फसल कटाई के बाद नुकसान:** **ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा** और बेमौसम वर्षा जैसे विशिष्ट खतरों के लिए बीमा कवरेज केवल **फसल कटाई से अधिकतम दो सप्ताह की अवधि तक उपलब्ध** है।
- **स्थानीय आपदाएं:** ओला-वृष्टि, भूस्खलन जैसी स्थानीय आपदाओं के घटित होने से नुकसान/ क्षति।
- **वन्यजीव से होने वाले नुकसान के लिए अतिरिक्त कवरेज** राज्य उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में जंगली जानवरों के हमलों के कारण होने वाली क्षति के लिए कवरेज प्रदान कर सकते हैं।

कवरेज में शामिल नहीं: **निम्नलिखित घटनाओं से होने वाले नुकसान को कवरेज प्राप्त नहीं है**

- युद्ध के कारण नुकसान
- नाभिकीय जोखिमों से होने वाले नुकसान
- जानबूझकर नुकसान
- टाले जा सकने वाले खतरों से होने वाले नुकसान

योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे:

- **राज्यों की कम भागीदारी:** वित्तीय बाधाओं के कारण **पश्चिम बंगाल** जैसे कुछ राज्यों ने इस योजना से बाहर निकलने का फैसला किया है।
- **विलंबित दावा निपटान:** उपज के **आंकड़ों में देरी, सब्सिडी जारी होने और किसानों के अधूरे विवरण** के कारण बीमा भुगतान में बहुत अधिक देरी।
- **कुछ क्षेत्रों में धीमी प्रगति: पौध की लंबी अवधि और नर्सरियों की कमी के कारण पूर्वोत्तर राज्यों** में सीमित प्रगति।
- **पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताएं:** पाम ऑयल की खेती से **लंबी विकास प्रक्रिया अवधि, वनों की कटाई, जैव विविधता के नुकसान तथा आदिवासी समुदायों के संभावित विस्थापन** जैसी चिंताएं पैदा होती हैं।

योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, बीमा दावों में तेजी लाने हेतु **उपज संबंधी आंकड़े और सब्सिडी समय पर जारी करना** सुनिश्चित करना। **आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करना तथा पर्यावरण अनुकूल, समुदाय-आधारित पाम ऑयल के लिए खेती को बढ़ावा** देना। दीर्घकालिक सफलता के लिए नर्सरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और क्षेत्र-विशिष्ट रणनीति को अपनाया जाना चाहिए।

1.1.4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) कैफेटेरिया स्कीम {Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) Cafeteria Scheme}

संदर्भ

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (SHCS) के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। इस योजना को **वर्ष 2022-23 से 'मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता'** नामक घटक के रूप में **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)** में शामिल कर लिया गया है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** PM-RKVY के तहत **संधारणीय कृषि** को बढ़ावा देना।
- **प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- **कवरेज:** सभी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश RKVY-RAFTAAR के तहत वित्त-पोषण के लिए पात्र हैं।
- **राज्यों को लचीलापन:** राज्य अपनी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और **कृषि-जलवायु आवश्यकताओं** के अनुसार योजना के तहत परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का चयन कर सकते हैं।

अन्य उद्देश्य

- **फसल-पूर्व एवं फसल कटाई के पश्चात की आवश्यक कृषि-अवसंरचना के निर्माण** के माध्यम से किसानों के प्रयासों को और मजबूती देना।
- स्थानीय/ किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार **योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन के लिए राज्यों को स्वायत्तता एवं लचीलापन** प्रदान करना।
- **मूल्य श्रृंखला संवर्धन से संबंधित उत्पादन मॉडल को बढ़ावा देना,** जो किसानों को उनकी आय में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ उत्पादकता को प्रोत्साहित करने में सहायता भी प्रदान करेगा।
- आय सृजन करने वाली अतिरिक्त गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ-साथ **किसानों की आय संबंधी जोखिम को कम** करना।
- विविध उप-योजनाओं के माध्यम से **राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में भागीदारी सुनिश्चित** करना।
- **कौशल विकास, नवाचार और कृषि उद्यमिता** आधारित कृषि व्यवसाय मॉडल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना, जिससे वे कृषि की ओर आकर्षित हों।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** RKVY को **2007 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों के समग्र विकास** के लिए एक अम्ब्रेला योजना के रूप में आरंभ किया गया था।
  - **2017** में इस योजना को **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रकों के पुनरुद्धार हेतु लाभकारी दृष्टिकोण (RKVY-RAFTAAR)** का नाम दिया गया था।
  - इसे **2022-23 के बाद** से कृषि और किसान कल्याण विभाग की कुछ योजनाओं को विलय करके **RKVY कैफेटेरिया स्कीम के रूप में पुनर्गठित** किया गया।

केंद्र और राज्य के बीच फंड शेयरिंग

- **पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों** के लिए, इस योजना के तहत फंड शेयरिंग का पैटर्न 90:10 है।
- **अन्य सभी राज्यों** के लिए, केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग का पैटर्न 60:40 है।
- **केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% अनुदान का प्रावधान किया गया है।**

- **राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति (SLSC): SLSC** में अनुमोदित परियोजनाओं के आधार पर राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि जारी की जाती है। गौरतलब है कि संबंधित राज्य के मुख्य सचिव द्वारा SLSC की अध्यक्षता की जाती है।
- **राज्यों के लिए दायित्व:** राज्यों के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं:
  - घटकों/ दिशा-निर्देशों से कोई भटकाव नहीं;
  - **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिला लाभार्थियों के लिए संसाधनों का आवंटन तथा निगरानी एवं डेटाबेस बनाए रखना।**

- **राज्यों को फंड उपयोग की स्वायत्तता:** राज्य सरकारों को अपनी राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार एक घटक से दूसरे घटक में फंड को फिर से आवंटित करने की स्वतंत्रता दी जाएगी।
- **नवाचार एवं कृषि-उद्यमिता कार्यक्रम:**
  - इसके तहत **कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रक के उद्यमियों को अपना स्टार्टअप स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
    - इस कार्यक्रम के तहत **अनुदान के रूप में आइडिया/ प्री-सीड चरण में 5 लाख रुपये और सीड चरण में 25 लाख रुपये** प्रदान किए जाते हैं।
    - वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत अब तक **1500 से अधिक कृषि-स्टार्टअप को सहायता** दी जा चुकी है।
  - DA&FW ने **देश भर में उत्कृष्टता केंद्र** के रूप में पांच नॉलेज पार्टनर्स (KPs) और **देश भर से 24 RKVY-RAFTAAR एग्री बिजनेस इनक्यूबेटर्स (R-ABIs)** का चयन किया है। उन्हें **कृषि-स्टार्टअप का समर्थन करने** के लिए चुना गया है।

RKVY कैफेटेरिया स्कीम के तहत विलय की गई प्रमुख योजनाएं:

- **मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता:** इसके तहत मृदा परीक्षण आधारित एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (INM) को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए रासायनिक उर्वरकों, जैविक उर्वरकों और बायो फर्टिलाइजर का एक साथ उपयोग किया जाता है।
- **वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (Rainfed Area Development):** इसका लक्ष्य बहुफसली, चक्रीय फसल, अंतरफसल और मिश्रित फसल पर बल देते हुए एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) को बढ़ावा देना है।
- **परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY):**
  - जैविक (ऑर्गेनिक) खेती करने वाले किसानों को क्लस्टर एप्रोच द्वारा उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन तक की **संपूर्ण प्रक्रिया में सहायता** प्रदान करना।
  - इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य **ऑर्गेनिक क्लस्टर्स (पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा) का निर्माण करना है,** ताकि विपणन पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ **मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में किसानों की मदद की जा सके।**
- **प्रति बूंद अधिक फसल (Per Drop More Crop):** इसके अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- **कृषि वानिकी (Agroforestry):** यह कृषि वानिकी पर उप-मिशन (Sub-Mission on Agroforestry: SMAF) की पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजना का नया संस्करण है।
  - **योजनावधि:** 2021-22 से 2025-26 तक।
  - **विशेष ध्यान:** प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (Quality Planting Material: QPM) के उत्पादन पर।
  - **ICAR-केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान** QPM के उत्पादन, नर्सरी की स्थापना आदि के संबंध में तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण प्रदान करने वाली नोडल एजेंसी है।
- फसल अवशेषों के प्रबंधन (CRM) सहित कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना।
- **फसल विविधीकरण कार्यक्रम:** जल गहन धान की फसल के क्षेत्रों में दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास आदि जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती करना।
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) घटक।**
- **कृषि स्टार्ट-अप के लिए एक्सेलेरेटर फंड।**

पांच नॉलेज पार्टनर्स (Kps)

- **राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (MANAGE), हैदराबाद**
- **राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (NIAM), जयपुर**
- **भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) पूसा, नई दिल्ली**
- **कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़, कर्नाटक**
- **असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट, असम**

प्रति बूंद अधिक फसल

सूक्ष्म सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता

लघु और सीमांत किसान के लिए	**55 फीसदी की दर**
अन्य किसानों के लिए	**45 फीसदी की दर**

अतिरिक्त लाभ

- **पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों** के लिए 25% अधिक इकाई लागत
- **सूक्ष्म सिंचाई तक कम पहुंच वाले राज्यों** के लिए 15% अधिक इकाई लागत

परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)

वित्तीय सहायता

राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को **3 वर्षों के लिए प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये** प्रदान किए जाते हैं। इनमें से प्रति हेक्टेयर **31,000 रुपये** सीधे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण **(DBT)** के माध्यम से दिए जाते हैं।

जैविक प्रमाणन

NCONF के माध्यम से ऑनलाइन सहभागी गारंटी प्रणाली (PGS) प्रमाणन।

भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP)

प्रारंभ में 8 राज्यों में शुरू किया गया।
अब इसे **राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन** के रूप में लागू किया गया है।
इसके तहत पूरे भारत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे:

- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड** तकनीकी होते हैं, जिनमें अत्यधिक वैज्ञानिक डेटा होता है। इनका डिज़ाइन किसानों की अपेक्षा वैज्ञानिकों के लिए अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।
  - कई किसान, यहां तक कि साक्षर किसान भी **pH, EC (विद्युत चालकता) और OC (जैविक कार्बन) जैसे शब्दों** को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं।
- **प्रति बूंद अधिक फसल घटक** को शुष्क मौसम में या अल्पवृष्टि की स्थिति में जल की कमी, फीडर पाइपों का जाम होना और पशुओं द्वारा नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- **जैविक खेती के लिए कम वित्तीय आवंटन और प्रोत्साहन: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)** के अंतर्गत अब तक परियोजना का **2% से भी कम हिस्सा जैविक खेती** के लिए निर्धारित किया गया था।

योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, आंकड़ों को किसानों के अनुकूल बनाने हेतु **दृश्यों** का उपयोग करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड को सरल बनाया जाना चाहिए। प्रति बूंद अधिक फसल के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के लिए **अवसंरचना और रखरखाव** में सुधार करना चाहिए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु **वित्त-पोषण और लक्षित प्रोत्साहन** में वृद्धि की जानी चाहिए।

1.2 वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance)

1.2.1. सुकन्या समृद्धि खाता (SSA) योजना {Sukanya Samriddhi Account (SSA) Scheme}

संदर्भ

जनवरी 2025 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत के 10 वर्ष पूरे हुए।

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह एक **लघु बचत योजना** है।
- **योजना का लक्ष्य:** लड़कियों की शिक्षा एवं विवाह हेतु उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
- **न्यूनतम जमा राशि:** 250 रुपये।
- **जमा की अवधि:** खाता खुलवाने की तिथि से 15 वर्षों तक।
- **पात्रता:** विशेष रूप से 10 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के लिए।

अन्य उद्देश्य

इस योजना का केंद्रीय उद्देश्य लड़कियों के भविष्य, विशेषकर उनकी शिक्षा और विवाह से संबंधित वित्तीय जरूरतों के लिए धन एकत्र करना है।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इस योजना की शुरुआत प्रधान मंत्री ने **22 जनवरी 2015** को राष्ट्रव्यापी **'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'** अभियान के अंतर्गत की थी।

- **खाता खोलने की प्रक्रिया:**
  - लड़की का खाता उसके **अभिभावक द्वारा जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक कभी भी** खुलवाया जा सकता है। पात्रता के लिए यह अनिवार्य है कि लड़की का खाता खोलने से लेकर उसकी परिपक्वता तक भारतीय निवासी हो।
  - प्रत्येक **लड़की के नाम पर केवल एक सुकन्या समृद्धि खाता** खोला जा सकता है। एक माता-पिता **केवल दो लड़कियों के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता खोल** सकते हैं। तथापि, **जुड़वां या तीन बच्चियों** के एक साथ जन्म की स्थिति में इस **नियम में छूट का प्रावधान** है।
  - यह खाता पूर्णतः पोर्टेबल है और इसे भारत में **कहीं भी स्थानांतरित** कराया जा सकता है।

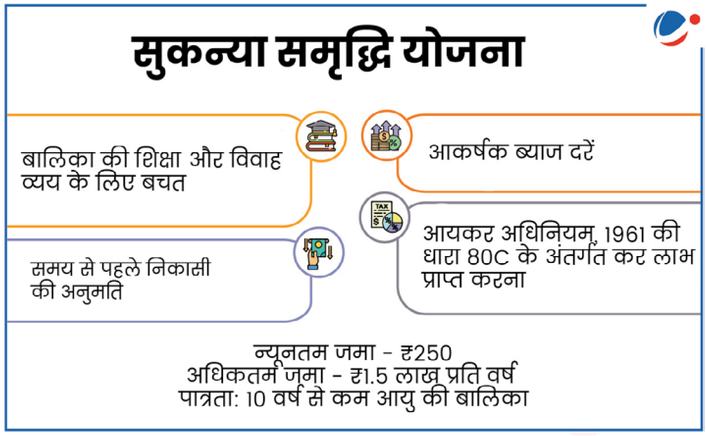

  - **खाता खोलने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:**
    - सुकन्या समृद्धि खाते का आवेदन-पत्र
    - लड़की का जन्म प्रमाण-पत्र
    - अभिभावक का पहचान प्रमाण (RBI के KYC दिशा-निर्देशानुसार)
    - अभिभावक का निवास प्रमाण (RBI के KYC दिशा-निर्देशानुसार)
- **जमा संबंधी नियम:** यह खाता किसी भी **डाकघर अथवा अधिकृत वाणिज्यिक बैंक की शाखा** में खोला जा सकता है, जिसके लिए **न्यूनतम प्रारंभिक राशि ₹250** निर्धारित है। बाद में **₹50 के गुणकों में राशि जमा** की जा सकती है। खाते को सक्रिय रखने के लिए **प्रत्येक वित्त वर्ष में न्यूनतम ₹250** जमा करना अनिवार्य है।
  - एक वित्त वर्ष में अधिकतम **₹1,50,000** की राशि जमा की जा सकती है। इस सीमा से अधिक जमा की गई राशि ब्याज रहित होगी और जमाकर्ता को लौटा दी जाएगी।
  - जमाकर्ता को **खाता खोलने की तिथि से केवल 15 वर्षों की अवधि तक** ही राशि जमा करनी होती है।

1.2.2. एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme - UPS)

संदर्भ

वित्त मंत्रालय द्वारा **एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के क्रियान्वयन हेतु आधिकारिक अधिसूचना** जारी कर दी गई है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात आजीवन वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराना।
- **कवरेज:** केंद्र सरकार के कर्मचारी।
- **प्रभावी तिथि:** 1 अप्रैल, 2025 से लागू।

अन्य उद्देश्य

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर जीवन, सम्मान और वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराना, जिससे उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य की गारंटी सुनिश्चित हो सके।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इस योजना को **अगस्त 2024** में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों हेतु **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)** के अंतर्गत एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया था।
- **लाभार्थी:** इस योजना से **लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे।**
- **सुनिश्चित पेंशन: न्यूनतम 25 वर्षों की अर्हक सेवा पूरी** करने पर, कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति (Superannuation) से ठीक पहले के **अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन** के रूप में सुनिश्चित किया जाएगा। **10 वर्ष से अधिक लेकिन 25 वर्ष से कम** की सेवा अवधि के लिए पेंशन की राशि आनुपातिक आधार पर निर्धारित की जाएगी।
- **सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन:** कर्मचारी के देहावसान की स्थिति में, उसके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का **60% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान** किया जाएगा।
- **सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन:** कम-से-कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्त होने पर **₹10,000 की मासिक न्यूनतम पेंशन** सुनिश्चित की गई है।
- **मुद्रास्फीति से समायोजन:**
  - यह समायोजन **सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन,** तीनों पर लागू होगा।
  - पेंशनभोगियों को भी सेवारत कर्मचारियों के समान ही **औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर आधारित महंगाई राहत** प्रदान की जाएगी।
- **अन्य लाभ:**
  - सेवानिवृत्ति के समय, ग्रेच्युटी के अलावा **एकमुश्त राशि** का भुगतान भी किया जाएगा।
  - **प्रत्येक पूर्ण छह माह** की सेवा के लिए **मासिक पारिश्रमिक** (वेतन + महंगाई भत्ता) के **1/10वें भाग** के बराबर **ग्रेच्युटी के अतिरिक्त** सेवानिवृत्ति पर **एकमुश्त भुगतान** किया जाएगा।
  - इस एकमुश्त भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की **मूल राशि में कोई कटौती नहीं** होगी।
- **UPS की अन्य विशिष्टताएं:**
  - UPS के प्रावधान **NPS के तहत पूर्व में सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों पर भी प्रभावी होंगे।**
  - पिछली अवधि के बकाये का भुगतान **PPF की प्रचलित ब्याज दरों** के साथ किया जाएगा।
  - कर्मचारियों को NPS अथवा UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। यह विकल्प मौजूदा एवं भविष्य के सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा। **एक बार चयन करने के पश्चात इसमें परिवर्तन संभव नहीं होगा।**
  - **कर्मचारी के अंशदान में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।** UPS के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अतिरिक्त वित्तीय भार सरकार वहन करेगी।
  - **सरकार द्वारा दिए जाने वाले अंशदान को 14% से बढ़ाकर 18.5%** कर दिया गया है।

1.3 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare)

1.3.1. आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission: ABHIM)

संदर्भ

हाल ही में, दिल्ली हाई कोर्ट ने **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रधान मंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM)** के क्रियान्वयन का निर्देश दिया है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** देश में एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण करना, जो भविष्य की महामारियों एवं आपदाओं का सामना करने में सक्षम हो।
- **प्रकार:** यह मुख्यतः एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है, जिसमें कुछ **केंद्रीय-क्षेत्रक घटक** भी शामिल हैं।
- **फोकस:** प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्तरों पर स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए संस्थानों की क्षमता का संवर्धन करना।
- **कार्यान्वयन अवधि:** वर्ष 2021 से 2026 तक (कुल 6 वर्ष)।

अन्य उद्देश्य

- सार्वभौमिक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए **जमीनी स्तर के लोक स्वास्थ्य संस्थानों** को मजबूत करना।
- वर्तमान और भविष्य की महामारी/ महामारियों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए **लोक स्वास्थ्य संस्थानों** को सुदृढ़ बनाना।
- लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों और रोग प्रकोपों का प्रभावी ढंग से पता लगाने, जांच करने, रोकने और निपटने के लिए एक **IT-सक्षम रोग निगरानी प्रणाली का विस्तार एवं निर्माण** करना।
- कोविड-19 और अन्य संक्रामक रोगों पर अनुसंधान का समर्थन करना तथा **'वन हेल्थ' दृष्टिकोण** को लागू करने के लिए मुख्य क्षमता विकसित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** 2021 में **'प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना' (PMASBY)** के रूप में घोषित, जिसका परिव्यय छह वर्षों (वित्त वर्ष 25-26 तक) में लगभग 64,180 करोड़ रुपये है।
- यह योजना **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त** है।
- **केंद्र प्रायोजित योजना के घटक**
  - **ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर:** 7 उच्च फोकस वाले राज्यों **(बिहार, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल)** और 3 पूर्वोत्तर राज्यों **(असम, मणिपुर और मेघालय)** में अवसंरचना के विकास के लिए समर्थन प्रस्तावित है।
  - **शहरी क्षेत्रों में 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर':** देश भर में 11,044 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए समर्थन प्रस्तावित है।
  - **ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स (BPHUs):** 11 उच्च फोकस वाले राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों **(असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड)** में 3382 BPHUs का समर्थन किया जाएगा।
    - **शेष राज्यों के लिए,** BPHUs की स्थापना हेतु सहायता 15वें वित्त आयोग के स्वास्थ्य अनुदान के माध्यम से **स्थानीय सरकारों** द्वारा प्रदान की जा रही है।
    - केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, जिलों में PM ABHIM के अंतर्गत प्रस्तावित **जिला एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं** केंद्र शासित प्रदेशों के ब्लॉक्स की आवश्यकताओं को भी पूरा करेंगी।
  - सभी जिलों में **जिला एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं।**
  - **5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों** में राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों/ जिला अस्पतालों में **क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक्स।**

- **केंद्रीय क्षेत्रक के घटक**
  - 12 केंद्रीय संस्थानों में **क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक्स।**
  - **आपदा और महामारी की तैयारी को मजबूत करना:** 15 स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र तथा 2 कंटेनर आधारित मोबाइल अस्पतालों के लिए सहायता प्रदान करना।
  - **संक्रामक रोगों की निगरानी और प्रकोप प्रतिक्रिया को मजबूत करना:** 20 महानगरीय निगरानी इकाइयों, 5 क्षेत्रीय NCDCs और सभी राज्यों में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म (IHIP) के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करना।
  - **एंट्री पॉइंट्स पर निगरानी क्षमताओं को मजबूत करना:** 17 नवीन एंट्री पॉइंट्स स्वास्थ्य इकाइयों के लिए समर्थन और 33 मौजूदा इकाइयों का सुदृढ़ीकरण करना।
  - **जैव-सुरक्षा तैयारी तथा महामारी अनुसंधान और बहु-क्षेत्रीय व राष्ट्रीय संस्थानों एवं वन हेल्थ प्लेटफॉर्म को सशक्त बनाना:** वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म, 9 जैव-सुरक्षा स्तर-III प्रयोगशालाएं और 4 नए क्षेत्रीय राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (NIVs) स्थापित करने के लिए समर्थन।

योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे

- **धीमा कार्यान्वयन:** वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 तक स्वीकृत 3,051 शहरी-आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में से केवल 1,932 को ही क्रियाशील किया गया है। इसी तरह, 577 स्वीकृत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स में से अब तक केवल 6 ही पूरे हुए हैं।
- **फंड का कम उपयोग:** वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्र प्रायोजित घटक का 'वास्तविक' व्यय 'बजट अनुमान' का केवल 29% था। 2023-24 में, 'संशोधित अनुमान' बजट अनुमान का लगभग 50% था, लेकिन 'वास्तविक व्यय' में इसके और कम होने की उम्मीद है।
- **राज्यों की सीमित वित्तीय क्षमता:** राज्यों को PM-ABHIM के तहत निर्मित स्वास्थ्य सुविधाओं को चलाने की दीर्घकालिक लागत वहन करनी होगी, क्योंकि मानव संसाधन के लिए केंद्रीय समर्थन 2025-26 में समाप्त हो जाएगा।

आगे की राह

- सख्त निगरानी के माध्यम से **समय पर निधि** जारी करना और महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण में तेजी लाना सुनिश्चित करना चाहिए।
- स्वास्थ्य सुविधाओं को बनाए रखने के लिए **राज्यों के साथ केंद्र-राज्य समन्वय में सुधार** करना चाहिए और 2025-26 के बाद भी राज्यों को लचीला वित्तीय समर्थन प्रदान करना चाहिए।
- परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए **क्षमता-निर्माण और कार्यबल की भर्ती को मजबूत** करना आवश्यक है।

1.3.2. आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना {Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY)}

संदर्भ

केंद्रीय बजट 2025-26 में **आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के विस्तार** की घोषणा की गई है, जिसमें **एक करोड़ गिग वर्कर्स को शामिल** किया जाएगा।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के दृष्टिकोण को साकार करना।
- **योजना का प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **लक्ष्य:** 12 करोड़ परिवार।
- **घटक:** आयुष्मान आरोग्य मंदिर; और प्रधान मंत्री-जन आरोग्य योजना (PM-JAY)।

अन्य उद्देश्य

- **प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली** (रोकथाम, सहायता एवं एम्बुलेटरी देखभाल को कवर करते हुए) में व्याप्त समस्याओं का समाधान करना।
- अस्पताल में दुर्घटना संबंधी घटनाओं के कारण **गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम** करना। इसके अलावा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इसे **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017** की अनुशंसा पर आरंभ किया गया था।
- **लाभ: अंत में** इन्फोग्राफिक देखिए।

लाभ

- प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है।
- योजना के लाभ पूरे देश में पोर्टेबल होंगे।
- यह सेवा सभी सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी क्षेत्रकों के स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं (EHCPs) के स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है।
- परिवार के आकार या आयु पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- तकनीकी रूप से संचालित, कैशलेस और पेपरलेस लेन-देन को सक्षम बनाती है।
- सभी पूर्व-मौजूदा स्थितियों को पहले दिन से ही कवर किया गया है।
- इसमें अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पहले और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन बाद के खर्चों का कवरेज भी शामिल किया गया है। इसमें दवाएं, परामर्श और नैदानिकीय जांचें भी शामिल हैं।
- अप्रैल 2020 से कोविड-19 से ग्रस्त रोगियों के उपचार को भी इसमें शामिल कर दिया गया है

- **आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पहले इसका नाम स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र था):**
  - **व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (CPHC) प्रदान करने हेतु 1,50,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर** निर्मित किए जाएंगे। **ये सार्वभौमिक होंगे और उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क होंगे।**
  - **फोकस:** लोगों का कल्याण करना तथा समुदाय के निकट सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का वितरण करना।
  - **वित्त-पोषण:** इसका वित्त-पोषण **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)** के माध्यम से किया जाएगा।

स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (HWCs) के माध्यम से CPHC

- विस्तारित सेवा वितरण
- देखभाल की निरंतरता टेली स्वास्थ्य/ रेफरल\
- HR और मल्टीस्किलिंग का विस्तार करना
- सामुदायिक लामबंदी और स्वास्थ्य संवर्धन
- ज्ञान कार्यान्वयन के लिए भागीदारी
- मजबूत IT सिस्टम
- वित्त-पोषण/ प्रदाता भुगतान सुधार

- **प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)**
  - **पृष्ठभूमि:** पूर्ववर्ती **राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPS)** का नाम परिवर्तित कर PM-JAY कर दिया गया है। प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) **दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।**
  - **लाभार्थी:**
    - इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान **सामाजिक- आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 (SECC 2011)** के माध्यम से की जाती है।
    - इसके अलावा, वे **परिवार** भी शामिल हैं, जिन्हें **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)** के अंतर्गत शामिल किया गया था, लेकिन वे **SECC 2011** का हिस्सा नहीं बने थे।
    - 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक।
  - **कार्यान्वयन की 3 विधियां/ तरीके**
    - **बीमा: राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA)** पॉलिसी अवधि के लिए प्रत्येक पात्र परिवार हेतु बीमा कंपनी को प्रीमियम का भुगतान करती है।
    - **आश्वासन/ विश्वास:** SHA सीधे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति करता है।
    - **मिश्रण:** उपर्युक्त दो का मिश्रण।

AB PM-JAY अपडेट: वरिष्ठ नागरिकों के लिए कवरेज का विस्तार

निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा:
70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए पारिवारिक आधार पर (प्रति परिवार) 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा।

व्यापक स्वास्थ्य कवरेज:
AB PM-JAY परिवारों द्वारा पहले से कवर किए गए वरिष्ठ नागरिकों को केवल उनके उपयोग के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष का कवर मिलेगा।

गैर-AB PM-JAY परिवारों के लिए पारिवारिक कवरेज:
वरिष्ठ नागरिक, जो मौजूदा AB PM-JAY परिवार कवरेज का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें पारिवारिक आधार पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कवर प्रदान किया जाएगा।

आयुष्मान वय वंदना कार्ड:
वरिष्ठ नागरिकों को विशेष कार्ड दिया जाता है।

अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के चयन में विकल्प:
अन्य लोक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं (CGHS, ECHS व CAPF) का चयन किया जा सकता है।

निजी तौर पर स्वास्थ्य बीमा धारकों के लिए पात्रता:
निजी स्वास्थ्य बीमा या ESIC कवरेज वाले वरिष्ठ नागरिक भी AB PM-JAY के अंतर्गत पात्र हैं।

कार्यान्वयन एजेंसियां:

- **राष्ट्रीय स्तर पर: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA)** एक स्वायत्त निकाय है। इसकी अध्यक्षता **केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** करता है।
- **राज्य स्तर पर:** राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की अध्यक्षता में **राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA)।**
- **जिला स्तर पर:** जिला कार्यान्वयन इकाई (DIU), जिसकी अध्यक्षता **जिले के DC/ DM/ कलेक्टर** द्वारा की जाती है।

- **पारदर्शिता और जवाबदेही:**
  - **लाभार्थियों के सत्यापन के 4 तरीके हैं-** आधार आधारित e-KYC, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और चेहरे का प्रमाणीकरण।
  - NHA द्वारा जारी की गई **व्हिसल ब्लोअर नीति।**
  - राज्य में औचक निरीक्षण करने, जुर्माना लगाने, पैनल से हटाने आदि के लिए **एंटी-फ्रॉड सेल।**
- **प्रमुख पहलें**
  - **आयुष्मान भव अभियान:** भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए प्रत्येक गांव और कस्बे तक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज का विस्तार करना। साथ ही, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पीछे न छूटे। इसका उद्देश्य निम्नलिखित तीन घटकों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज को सुनिश्चित करना है:
    - **आयुष्मान - आपके द्वार 3.0;**
    - स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (HWCs) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) पर **आयुष्मान मेले** तथा
    - प्रत्येक गांव व पंचायत में **आयुष्मान सभा।**

योजना से जुड़े मुख्य मुद्दे

- **वित्तीय अनियमितताएं:** कमजोर सत्यापन के कारण सार्वजनिक अस्पतालों में धन का दुरुपयोग और गलत आवंटन हुआ है।
- **डेटाबेस संबंधी त्रुटियां:** लाभार्थियों की सूची में अमान्य नाम, फर्जी पहचान-पत्र और अवास्तविक डेटा प्रविष्टियां थीं। उदाहरण के लिए- तमिलनाडु में केवल 7 आधार नंबरों से 4,761 पंजीकरण जुड़े हैं।
- **खराब गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा:** कई सूचीबद्ध अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था और वे न्यूनतम गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते थे।
- **संचालन में देरी:** दावा प्रस्तुत करने, अनुमोदन और शिकायत निवारण प्रक्रियाओं में गंभीर देरी।

आगे की राह

- धोखाधड़ी से बचने के लिए **आधार-आधारित सत्यापन** को मजबूत किया जाना चाहिए।
- लाभार्थियों के **डेटाबेस का नियमित रूप से ऑडिट** किया जाना चाहिए।
- अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के लिए **सख्त अवसंरचना के मानदंड** लागू करने चाहिए।
- दक्षता बढ़ाने के लिए **दावों की मंजूरी और शिकायत निवारण के लिए समय-सीमा निर्धारित** करनी चाहिए।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
SANDHAN
Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज
(UPSC प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट रिवीजन, प्रैक्टिस और समग्र तैयारी हेतु ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)
- UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ–साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 25,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्नों का विशाल संग्रह
- अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार करने की सुविधा
- परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टेस्ट (PIT)
- टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर फीडबैक
अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए
2026 | ENGLISH MEDIUM 7 SEPTEMBER | हिन्दी माध्यम 7 सितम्बर

1.3.3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission: NHM)

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अगले पांच और वर्षों के लिए बढ़ाने** को मंजूरी दी।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य: समान, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना।**
- **प्रकार: केंद्र प्रायोजित** योजना।
- **मिशन प्रमुख: मिशन का निदेशक** अतिरिक्त सचिव के स्तर का होगा।
- **कार्यकाल:** 2021-2026 तक।

अन्य उद्देश्य

- **शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी** लाना।
- संचारी एवं गैर-संचारी **रोगों की रोकथाम एवं उन्हें नियंत्रित** करना।
- **एकीकृत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच** सुनिश्चित करना।
- **जनसंख्या स्थिरीकरण तथा लैंगिक और जनसांख्यिकीय संतुलन** स्थापित करना।
- **स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों को पुनर्जीवित** करना और **आयुष को मुख्यधारा** में लाना।
- भोजन एवं पोषण, स्वच्छता और साफ-सफाई के लिए **सार्वजनिक सेवाओं** तथा लोक स्वास्थ्य देखभाल तक **सार्वभौमिक पहुंच** सुनिश्चित करना।
- **स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली को बढ़ावा** देना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** 2013 में, NRHM (2005 में शुरू) और NUHM (2013 में शुरू) को **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)** के अंतर्गत विलय कर दिया गया था।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 2 उप-योजनाएं इस प्रकार हैं:** राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)।
- **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM)**
  - **कवरेज:** सभी राज्यों की राजधानियां, जिला मुख्यालय और 50,000 से अधिक आबादी वाले शहर/ कस्बें।
  - **विकेन्द्रीकरण:** आवश्यकता आधारित शहर विशिष्ट शहरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली तथा समुदाय एवं स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित।
  - **बाहरी सहयोगी: एशियाई विकास बैंक (ADB)** द्वारा कुछ संकेतकों से संबंधित प्रगति के आधार पर फंड उपलब्ध कराया जा रहा है।

- **सेवा वितरण अवसंरचना:** शहरी-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (U-CHC) और रेफरल अस्पताल एवं आउटरीच सेवाएं।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन**
  - मिशन का जोर सभी स्तरों पर अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण के साथ **पूरी तरह कार्यात्मक**, **समुदाय के स्वामित्व वाली व विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य वितरण प्रणाली** स्थापित करने पर है।
  - यह **जल, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण और सामाजिक एवं लैंगिक समानता** जैसे स्वास्थ्य के निर्धारकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक साथ कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
- **राज्यों को प्रोत्साहन:** राज्यों का वित्त-पोषण **राज्य की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (PIP)** पर आधारित है।
  - ऐसे राज्य जो IMR, MMR, टीकाकरण, गुणवत्ता प्रमाणित स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या और अनुपात जैसे **प्रमुख परिणामों/ आउटपुट के संबंध में बेहतर प्रगति को दर्शाते हैं, वे प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त धनराशि** प्राप्त कर सकते हैं।
- **इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (e-VIN):** यह देश भर में कई स्थानों पर रखे गए टीकों के **स्टॉक और भंडारण के तापमान की वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम** करता है। इसके लिए यह अत्याधुनिक तकनीक, एक मजबूत आईटी अवसंरचना और प्रशिक्षित मानव संसाधन को एक साथ लाता है।

NHM के तहत प्रमुख पहलें

- **जननी सुरक्षा योजना**
  - यह स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देने के लिए **एक मांग संवर्धन और सशर्त नकद हस्तांतरण योजना** है।
  - यह **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत 100% केंद्र प्रायोजित योजना है।**
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)**
  - **उद्देश्य: गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान** करना तथा संस्थागत प्रसव में होने वाले **अधिक खर्च की समस्या का समाधान** करना।
  - यह कार्यक्रम उन गर्भवती महिलाओं को **'बिना खर्च वाले प्रसव'** की सुविधा प्रदान करता है, जो अपने प्रसव के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करती हैं (इन्फोग्राफिक्स देखें).

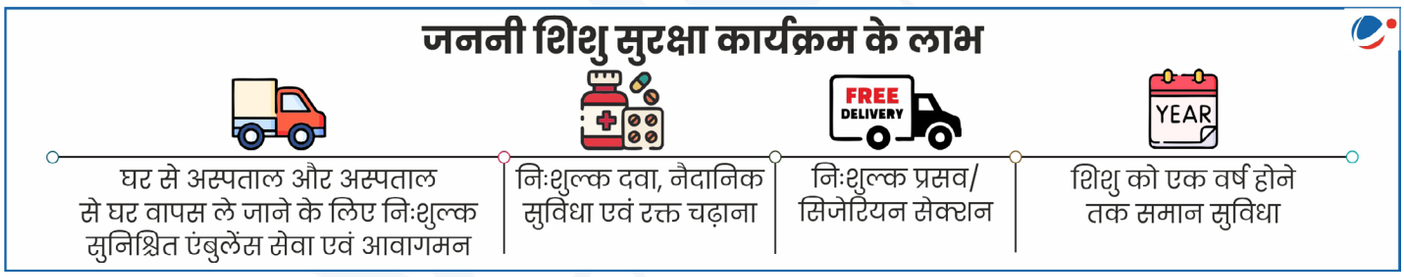

- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)**
  - **उद्देश्य:** 4'D' - बच्चों में जन्म के समय किसी भी प्रकार के विकार (**D**efects at birth), बीमारी (**D**iseases), न्यूनता (**D**eficiencies) और दिव्यांगता सहित बच्चों के विकास में आने वाली रुकावट (Development **D**elays) की **शुरुआती तौर पर पहचान** करना तथा इस दिशा में शुरुआती हस्तक्षेप करना।
  - **अपेक्षित लाभार्थी:** ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले **0-6 वर्ष तक आयु समूह** के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। 18 वर्ष तक के बड़े बच्चे, जो सरकारी विद्यालयों और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्र/ छात्रा हैं।
  - बाल स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं में **30 चयनित स्वास्थ्य स्थितियों को कवर करने की परिकल्पना** की गई है। इसके तहत स्क्रीनिंग, **यथाशीघ्र निदान और निःशुल्क प्रबंधन** परिकल्पित है।
- **राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK)**
  - **लाभार्थी: 10-19 वर्ष** के आयु-वर्ग के किशोर।
  - यह कार्यक्रम, **भारत में सभी किशोरों** को उनके स्वास्थ्य से संबंधित सूचित निर्णय लेने में मदद करता है।
  - **विद्यालयों में छात्रों के स्वास्थ्य की जांच** की जाती है। इसके उपरांत बीमारियों, विशेष रूप से गैर-संक्रामक रोगों (NCDs), का शुरुआती दौर में पता लगाया जाता है।
  - **समुदाय-आधारित हस्तक्षेप:** इसके तहत **सहकर्मी शिक्षक (साथिया)** सामाजिक प्रक्रिया के अनुरूप योजना संबंधी जानकारी किशोरों को उपलब्ध कराते हैं।
  - **साथिया रिसोर्स किट:** सहकर्मी शिक्षक को सहयोग प्रदान करने हेतु, विशेष रूप से गांवों में संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करना।
  - **मासिक धर्म स्वच्छता योजना (MHS):** इसके तहत प्राथमिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली **किशोरियों को सब्सिडी**

प्राप्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं।

- MOHFW ने **संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA)** के सहयोग से **राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य रणनीति** विकसित की है।

- **RMNCH+A (प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य):** इसका उद्देश्य **भारत में बच्चों की उत्तरजीविता में सुधार लाने के लिए उनके पूरे जीवन-काल को योजना** के दायरे में लाना है।

- 2005 में शुरुआत
- **आशा कर्मी** लोक स्वास्थ्य क्षेत्रक और गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं।
- **आशा कर्मी** स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने में मदद करती हैं।
- इसके अंतर्गत **10 सबसे निम्न प्रदर्शन** करने वाले राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- प्रत्येक संस्थागत प्रसव के लिए आशा कर्मी और माता को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना

जननी सुरक्षा योजना (JSY) के लाभार्थी

निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य* - सभी गर्भवती महिलाएं, जो संस्थागत प्रसव कराती हैं।

उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य - संस्थागत प्रसव के बाद गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाली महिलाएं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाएं, दो जीवित जन्मों तक

***कम संस्थागत प्रसव दर वाले राज्य**

आशा कर्मी

प्रोत्साहन राशि	माता	आशा कर्मी
निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य		
ग्रामीण क्षेत्र	1400 रु.	600 रु.
शहरी क्षेत्र	1000 रु.	400 रु.
उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य		
ग्रामीण क्षेत्र	700 रु.	600 रु.
शहरी क्षेत्र	600 रु.	400 रु.

रणनीति के तहत "प्लस (+)" निम्नलिखित पर केंद्रित है

- व्यक्ति के जीवन में **किशोरावस्था** को एक विशिष्ट चरण के रूप में शामिल करना।
- **एकीकृत स्वास्थ्य दृष्टिकोण:** मातृ स्वास्थ्य को प्रजनन स्वास्थ्य तथा अन्य घटकों जैसे कि- परिवार नियोजन, किशोर स्वास्थ्य, एच.आई.वी., जेंडर और गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीकों से जोड़ना।
- घर की एवं **समुदाय-आधारित सेवाओं को सुविधा** केंद्र-आधारित सेवाओं से जोड़ना।
- **निरंतर स्वास्थ्य देखभाल:** स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के अलग-अलग स्तरों के बीच लिंकेज, रेफरल और काउंटर-रेफरल सुनिश्चित करना।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunization Programme:UIP)

- यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा **100% वित्त-पोषित** है।
- इस कार्यक्रम को **1985** में आरंभ किया गया था। यह **विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक** है।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP): 12 बीमारियों के खिलाफ नि:शुल्क टीकाकरण

राष्ट्रीय स्तर पर 9 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण:

डिप्थीरिया वैक्सीन, परट्यूसिस वैक्सीन, टिटनेस वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, मीजल्स (खसरा) वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, पेंटावैलेंट वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन, रूबेला वैक्सीन, एडल्ट जापानी इंसेफेलाइटिस (JE) वैक्सीन, जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन, बाईवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन (bOPV), मीजल्स (खसरा)-रूबेला वैक्सीन (MR), इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन (IPV)

उप-राष्ट्रीय स्तर पर 3 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण:

रोटावायरस डायरिया, न्यूमोकोकल निमोनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस (केवल बीमारी के प्रकोप वाले जिलों में उपलब्ध)।

- **सघन मिशन इंद्रधनुष-4.0 (Intensified Mission Indradhanush: IMI4.0)**
  - **पृष्ठभूमि:** 2014 में, भारत सरकार ने **नियमित टीकाकरण कवरेज** में सुधार करने के उद्देश्य से एक प्रमुख (फ्लैगशिप) कार्यक्रम **मिशन इंद्रधनुष (MI)** शुरू किया था।
  - इसके बाद **IMI** शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि टीकाकरण से कोई वंचित नहीं रह जाए।

संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम

- **राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP):** यह कार्यक्रम **मलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और लिम्फैटिक फाइलेरियासिस** की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए चलाया जा रहा है।
- **राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP):** इसके तहत **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के निर्धारित वर्ष (2030) से पांच साल पहले अर्थात 2025 तक** भारत में रणनीतिक रूप से क्षय रोग/ तपेदिक रोग (TB) के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है।
  - **निक्षय पोषण योजना (NPY):** DBT के माध्यम से **टीबी रोगियों के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह** की सहायता।
- **राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP):** इसका उद्देश्य आबादी के सभी वर्गों के कुष्ठ रोगियों को **नि:शुल्क गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य-देखभाल सेवाएं** प्रदान करना है।
  - **एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP):** इसका उद्देश्य महामारी का रूप धारण करने वाली बीमारियों के खिलाफ **सक्षम रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत** करना है।

गैर-संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम

- कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS);
- राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टिबाधिता नियंत्रण कार्यक्रम (NPCBVI);
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP);
- बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE);
- राष्ट्रीय प्रशामक (Palliative) देखभाल कार्यक्रम (NPPC);
- राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (NPPCD);
- राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP);
- जलने से जख्मी होने की घटनाओं की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPPMBI);
- राष्ट्रीय ओरल हेल्थ कार्यक्रम (NOHP) आदि।

योजना से जुड़े मुख्य मुद्दे

- **शासन और संरचनात्मक मुद्दे:** स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और NHM के बीच समन्वय की कमी है। NHM की रूपरेखा के तहत प्रस्तावित फ्रेमवर्क्स का पालन भी ठीक से नहीं हो रहा है।
- **मानव संसाधन मुद्दे:** इसमें स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन (HRH) हेतु दीर्घकालिक योजना पर सीमित ध्यान देना, संविदा कर्मचारियों के बीच प्रेरणा की कमी जैसे मुद्दे शामिल हैं।
- **HMIS में तकनीकी चुनौतियां:** इसमें कई समानांतर प्रणालियों का उपयोग (कार्य के दोहराव का कारण), डेटा आधारित निर्णय लेने की चुनौतियां (डेटा विश्लेषण क्षमता की चुनौती) जैसे मुद्दे शामिल हैं।
- **निगरानी और मूल्यांकन के मुद्दे:** मुद्दों में एक रणनीतिक स्वास्थ्य योजना का अभाव, राज्य में किए गए कार्यों की निगरानी एवं मूल्यांकन का अभाव, निगरानी व मूल्यांकन के लिए कोई समान संरचना नहीं होना शामिल है।

आगे की राह

- एकीकृत परिचालन ढांचे के तहत NHM और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूत करना चाहिए।
- एक दीर्घकालिक **स्वास्थ्य सेवा रणनीति** बनानी चाहिए,
- संविदा कर्मचारियों को पक्का/ स्थायी कर देना चाहिए,
- एकल एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन प्रणाली (HMIS) को सुव्यवस्थित कर देना चाहिए।
- रियल टाइम डेटा विश्लेषण द्वारा समर्थित **एक समान, राज्य-विशिष्ट निगरानी और मूल्यांकन संरचना** स्थापित करनी चाहिए।

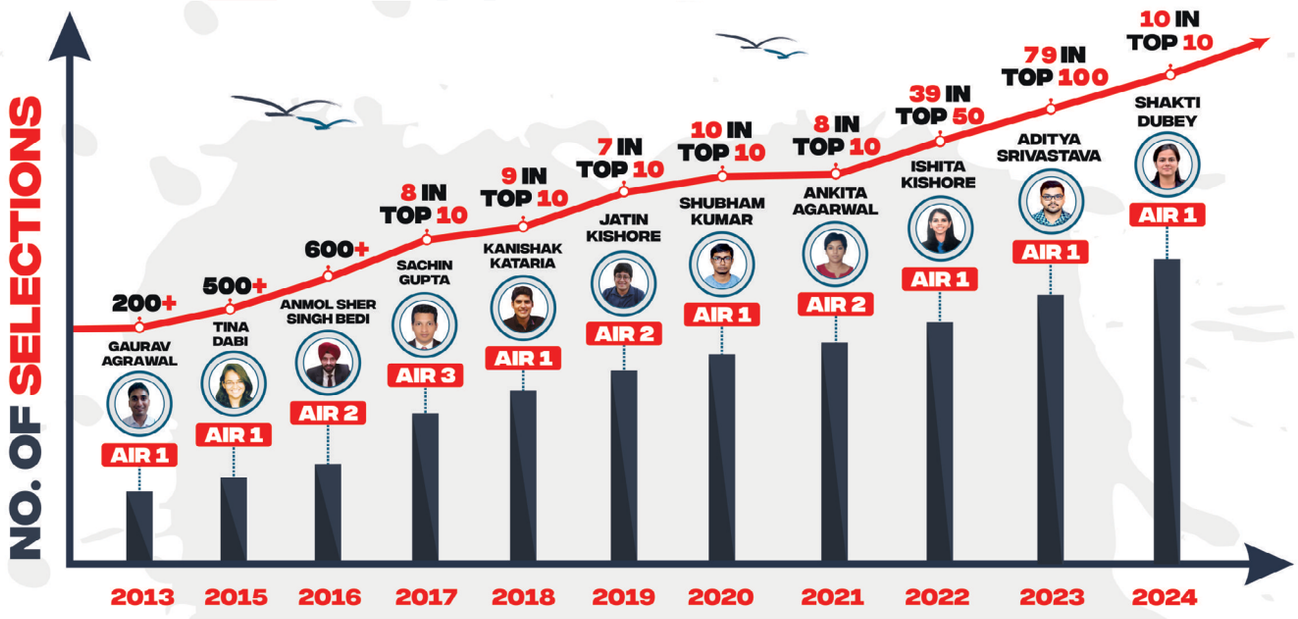

1.4 जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti)

1.4.1. जल जीवन मिशन (JJM): हर घर जल {Jal Jeevan Mission (JJM): Har Ghar Jal}

संदर्भ

सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में **67,000 करोड़ रुपये के परिव्यय** के साथ जल जीवन मिशन (JJM) को **2028 तक बढ़ाने** की घोषणा की।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य: 'कोई भी न छूटे',** इस प्रकार **2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल** की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **बच्चों पर विशेष ध्यान:** स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं में पाइप से जल की आपूर्ति करना।
- **प्राथमिकता वाले क्षेत्र:** जापानी इंसेफेलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम तथा भूजल प्रदूषण (आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन आदि) से प्रभावित जिले।

अन्य उद्देश्य

- **प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC)** प्रदान करना।
- गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखाग्रस्त क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों और सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) गांवों में **FHTC प्रावधान** को प्राथमिकता देना।
- **स्कूलों, आंगनबाड़ियों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों,** आदि में कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना।
- नल कनेक्शन की **कार्यक्षमता की निगरानी** करना।
- जल स्रोतों, अवसंरचना आदि सहित **जल आपूर्ति प्रणालियों की संधारणीयता सुनिश्चित** करना।
- **जल क्षेत्रक में मानव संसाधन विकसित** करना, जिसमें निर्माण कार्य, प्लंबिंग, विद्युत कार्य, आदि शामिल हैं।
- नकद, वस्तु और/ या श्रम (श्रमदान) के माध्यम से **स्वैच्छिक सामुदायिक स्वामित्व** को बढ़ावा देना।
- **सुरक्षित पेयजल के अलग-अलग पहलुओं और महत्त्व पर जागरूकता** को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इस योजना को **2019** में शुरू किया गया था। **वर्ष 2019** में केवल **3.23 करोड़ (17%)** ग्रामीण घरों में नल से जल कनेक्शन उपलब्ध था।
  - अब तक **देश में 15.5 करोड़ (80.2%) से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन** उपलब्ध कराया जा चुका है।

- **लक्ष्य: 'वॉश (WASH) के प्रति जागरूक गांव'** विकसित करना। इन गांवों में स्थानीय समुदायों को संधारणीय जल और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने के लिए सुसज्जित किया जाएगा।
- **कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC):** FHTC से तात्पर्य पर्याप्त मात्रा में और निर्धारित गुणवत्ता एवं नियमित आधार पर पानी की आपूर्ति करने वाले घरेलू नल कनेक्शन से है।
- **विकेंद्रीकृत:** JJM दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा के लिए ग्राम कार्य योजना (VAP) का प्रावधान करता है।
  - **VAP अग्रलिखित पर केंद्रित है:** पेयजल स्रोत; ग्रे वॉटर का पुनः उपयोग; जलापूर्ति प्रणालियां; प्रचालन एवं रख-रखाव।
  - **पानी समितियां:** पानी समितियां या ग्राम जल और स्वच्छता समितियां (VWSCs) **गांव की जल आपूर्ति प्रणाली के नियमित संचालन एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार** हैं।

महिला सशक्तीकरण

- प्रत्येक गांव में कम-से-कम **पांच महिलाओं** को ग्रामीण स्तर पर जल की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु फील्ड टेस्ट किट्स (FTKs) का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- उन क्षेत्रकों में महिलाओं की क्षमता का निर्माण करना, जिन्हें पुरुष विशेष क्षेत्रक माना जाता है जैसे कि राज-मिस्त्री, मैकेनिक, प्लंबर आदि।
- **पानी समितियों में न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं** होनी चाहिए और समाज के कमजोर वर्गों का भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

- **गैर-राजस्व जल को कम करना:** गैर-राजस्व जल वह जल है, जिसे पंप के जरिए भूमि से बाहर निकाला जाता है और फिर जिसकी खपत हो जाती है या जिसका कोई हिसाब नहीं होता है।
- **मुख्य संसाधन केंद्र (KRCs):** क्षमता बढ़ाने के लिए अलग-अलग **सरकारी और गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, थिंक टैंक्स एवं प्रशिक्षण संस्थानों को KRCs** के रूप में शामिल किया गया है।
- **राष्ट्रीय वॉश (WASH) विशेषज्ञ (NWE):** राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र NWEs को सूचीबद्ध करने तथा नियोजित करने के लिए उत्तरदायी हैं। NWEs का कार्य राज्यों को **जमीनी स्तर पर सत्यापन और तकनीकी सहायता** प्रदान करना है।
- **फंड्स जारी करना:** यह उपलब्ध केंद्रीय निधियों के उपयोग और राज्यों की समान हिस्सेदारी पर निर्भर है।
  - राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को कार्यक्षमता मूल्यांकन सर्वेक्षण के आधार पर **प्रदर्शन आधारित अनुदान** प्रदान किया जाता है।
- **15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वित्त-पोषण (FFC):** FFC ने **जल आपूर्ति और स्वच्छता को राष्ट्रीय प्राथमिकता** के रूप में माना है। इस आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को **2021-22 से 2025-26 तक के लिए 2.36 लाख करोड़ रुपये आवंटित** किए गए हैं।

पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए तंत्र

उन्नत निगरानी

- **JJM-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (JJM-WQMIS):** इसका कार्य रियल टाइम में, JJM के तहत भौतिक और वित्तीय प्रगति को रिकॉर्ड करना है।
- रियल टाइम आधार पर **जल आपूर्ति के मापन एवं निगरानी के लिए सेंसर-आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) समाधान।**
- सभी लेन-देन **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS)** के जरिए किए जाते हैं।

उन्नत वितरण

- JJM के तहत बनाई गई सभी परिसंपत्तियों की **जियो-टैगिंग** की जाती है।
- **'घर के मुखिया' के आधार नंबर के साथ नल कनेक्शन को जोड़ा** जाता है।
- कार्य को आसान बनाने हेतु सभी हितधारकों के उपयोग के लिए **'मोबाइल ऐप'** विकसित किए गए हैं।
- JJM के तहत संपन्न किए जाने वाले **कार्यों** और उपयोग की जाने वाली **सामग्रियों की गुणवत्ता** सुनिश्चित करने के लिए **थर्ड पार्टी जांच (TPI)** को अनिवार्य किया गया है।

मुख्य पहलें

- **रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम (RWPF):** प्रौद्योगिकी, ज्ञान आधारित उत्पादों के विकास और सूचना साझाकरण के माध्यम से WASH क्षेत्रक में नवाचार को बढ़ावा देना।
- **नल जल मित्र कार्यक्रम: जल आपूर्ति प्रणालियों को बनाए रखने और मरम्मत** करने के लिए ग्रामीणों को "नल जल मित्र" के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है।
- **जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (JSA: CTR):** इसे जन भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण के लिए **2019 में शुरू** किया गया था।
  - **2024 थीम: "नारी शक्ति से जल शक्ति",** जल संरक्षण में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया गया है।

योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे

- **बजट आवंटन में कमी:** आवंटन को घटाकर ₹67,000 करोड़ (2025-26) कर दिया गया है, जिससे योजना की दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर चिंताएं बढ़ रही हैं।

- **कवरेज लक्ष्य से चूक:** 2024 तक 100% कवरेज के घोषित लक्ष्य के मुकाबले, मार्च 2025 तक केवल 80.2% ग्रामीण परिवारों को नल जल के कनेक्शन मिले थे।
- **जल गुणवत्ता संबंधी समस्याएं:** कई राज्यों में अभी भी जल में **आयरन, फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट और बैक्टीरिया** जैसे संदूषक पाए गए हैं।
- **संचालन, रखरखाव और कार्यबल में कमी:** कमजोर संचालन एवं रखरखाव प्रणालियां तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी स्थायी आपूर्ति में बाधा डालती है।
- **कम जागरूकता और व्यवहार संबंधी कमियां:** ग्रामीण आबादी में जल की शुद्धता एवं हेल्पलाइन के उपयोग के बारे में जागरूकता की कमी है। इससे विश्वास और शिकायत निवारण प्रभावित होता है।

आगे की राह

- 100% कवरेज के लक्ष्य को पूरा करने के लिए **पर्याप्त और समय पर फंडिंग** सुनिश्चित करना, और बेहतर योजना बनाना जरूरी है।
- **जल परीक्षण संबंधी अवसंरचना** और संचालन व रखरखाव के लिए स्थानीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण को बेहतर करना चाहिए।
- ग्रामीण उपयोगकर्ताओं को जल की गुणवत्ता और शिकायत निवारण तंत्र के बारे में शिक्षित करने के लिए **जागरूकता अभियान** चलाए जाने चाहिए।

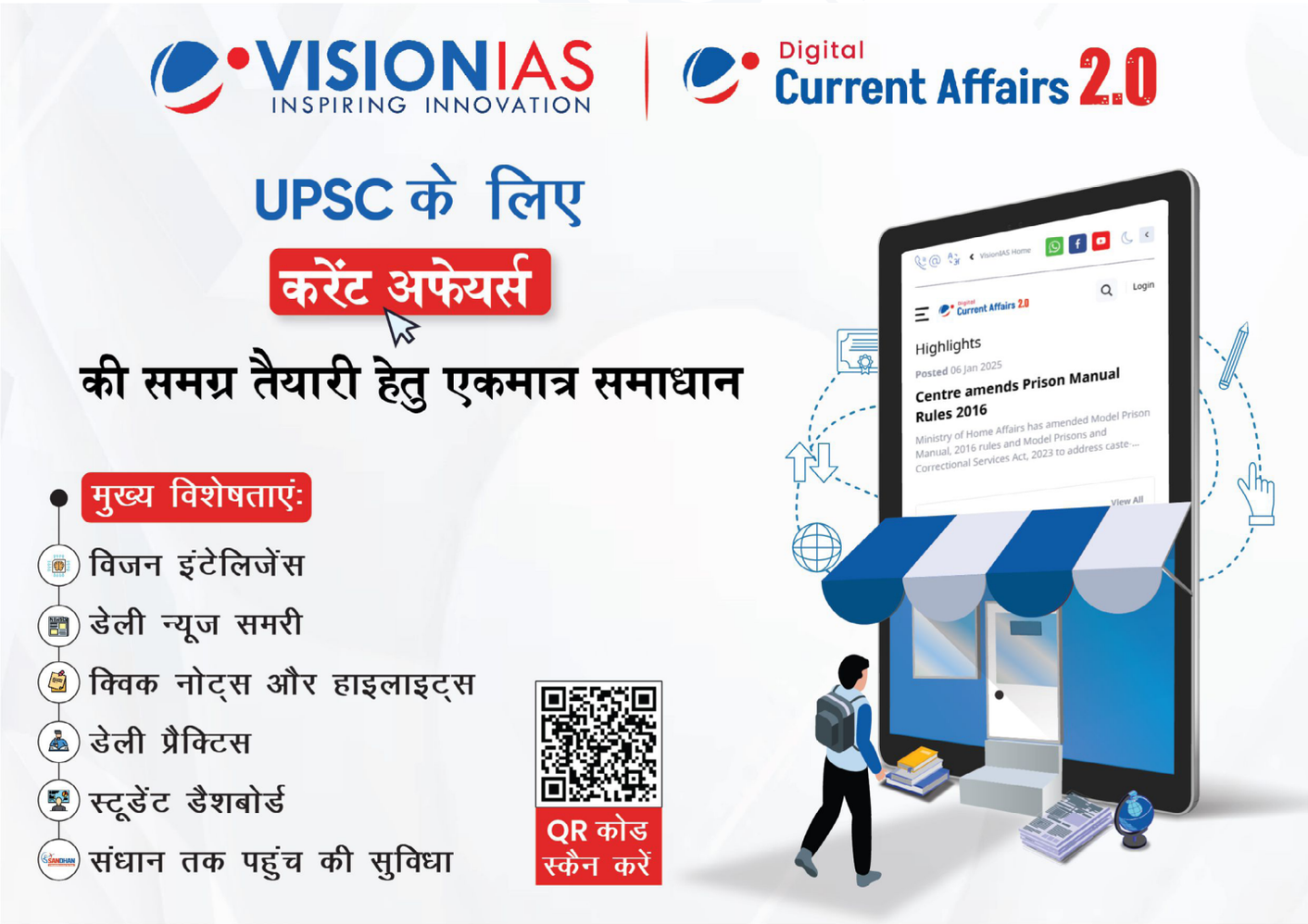

1.5 कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship)

1.5.1. कौशल भारत कार्यक्रम (Skill India Programme)

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम (SIP) के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की है और इसे **वर्ष 2026 तक जारी रखने हेतु ₹8,800 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय आवंटित** किया है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण तथा **रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (RPL)** के जरिए रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की जा रही है।
- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना।
- **वित्त:** मंत्रालय का एकीकृत वित्त प्रभाग (IFD)।
- **निगरानी:** मिशन निदेशालय।

अन्य उद्देश्य

- **भारतीय युवाओं** को वैश्विक बाजार की मांग के अनुरूप एक **कुशल कार्यबल** के रूप में तैयार करना।
- उभरती हुई ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों की परिवर्तित होती मांगों को पूरा करने हेतु **कौशल कार्यक्रमों में विविधता** लाना।
- **प्रशिक्षण की उत्कृष्टता एवं प्रासंगिकता** को सुनिश्चित करना।
- केवल प्रमाण-पत्र प्रदान करने के स्थान पर **बाजार-उन्मुख वास्तविक दक्षताओं का विकास** करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** 'कौशल भारत मिशन' को वर्ष **2015** में शुरू किया गया था।
  - सरकार **20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों के माध्यम** से पूरे भारत में विभिन्न कौशल विकास योजनाओं को लागू कर रही है।
  - **पुनर्गठित योजना:** इस योजना को 3 प्रमुख घटकों, अर्थात्, **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0), प्रधान मंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (PM-NAPS) और जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना** को मिलाकर पुनर्गठित किया गया है।

कौशल भारत मिशन के तहत निम्नलिखित कौशल विकास योजनाएं हैं:

- **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):** वर्तमान में, **PMKVY 4.0** को वित्त वर्ष 2022-2023 से पूरे देश में लागू किया जा रहा है।
  - यह युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए **अल्प अवधि का कौशल विकास और प्रमाणन** प्रदान करती है। **इसके निम्नलिखित प्रमुख घटक हैं:**
    - **अल्पकालिक प्रशिक्षण (STT):** स्कूल/ कॉलेज छोड़ने वालों या बेरोजगारों के लिए, जिसमें प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार सहायता भी प्रदान की जाती है।
    - **पूर्व लर्निंग की मान्यता (RPL):** पूर्व अनुभव या कौशल रखने वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन कर उन्हें **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF)** के अनुरूप प्रमाणित करना।
    - **विशेष परियोजनाएं:** विशिष्ट क्षेत्रों में तथा सरकारी या औद्योगिक परिसरों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।

PMKVY 4.0 की मुख्य विशेषताएं

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना

उद्योग-उन्मुख	कार्यस्थल पर प्रशिक्षण	लचीला शिक्षण
उद्योग की मांगों और बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप	अनुभवात्मक लर्निंग के लिए कार्यस्थल पर प्रशिक्षण का एकीकरण	मिश्रित और लचीला लर्निंग मॉडल
माइक्रो-क्रेडेंशियल्स	समावेशी कौशल	गुणवत्ता आश्वासन
NoS-आधारित पाठ्यक्रम और माइक्रो-क्रेडेंशियल्स दृष्टिकोण	कई क्षेत्रीय भाषाओं में सुलभ प्रशिक्षण	गुणवत्ता प्रशिक्षण और मूल्यांकन
मानकीकरण	RTD प्रशिक्षण	कौशल संबंधी कमियों का समाधान
प्रशिक्षण केंद्रों में विशेषज्ञता और मानकीकरण	उद्योगों के माध्यम से भर्ती प्रशिक्षण व तैनाती प्रशिक्षण	क्षेत्रीय कौशल की कमियों और उद्योग की आवश्यकताओं की बेहतर पहचान

- **जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना:** ग्रामीण क्षेत्रों में **निरक्षरों, नव-साक्षरों और स्कूल छोड़ने वालों को उस क्षेत्र में प्रासंगिक बाजार कौशल की पहचान** करके व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
  - यह महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और 15-45 आयु वर्ग के वंचितों के लिए **लचीला व समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण** प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना:** प्रशिक्षुता कार्यक्रम चलाने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उद्योगों द्वारा **21.4 लाख प्रशिक्षुओं** को काम पर लगाया गया है।
  - केंद्र सरकार प्रशिक्षुओं और प्रतिष्ठानों की सहायता के लिए प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षु के मासिक **प्रशिक्षण भत्ते का 25% (अधिकतम 1,500 रुपये प्रतिमाह)** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रदान करती है।
- **शिल्पकार प्रशिक्षण योजना:** 14,938 **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs)** के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। 2015 से, 91.7 लाख छात्रों को प्रशिक्षित किया गया है।

योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे

- **व्यावसायिक शिक्षा का सीमित प्रसार:** मार्च 2023 तक, भारत के कुल कार्यबल का केवल **3-4%** ही औपचारिक रूप से कुशल था।
- **टॉप-डाउन पॉलिसी एप्रोच:** कौशल संबंधी पहलें एक केंद्रीकृत मॉडल पर आधारित हैं, जिसमें स्थानीय श्रम बाजार की विशिष्ट आवश्यकताओं की प्रायः उपेक्षा की गई है।
- **शैक्षणिक संस्थानों की अरुचि:** उच्चतर शिक्षा एवं तकनीकी संस्थान प्रायः अपने कोर्सेज में अल्पकालिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल करने के प्रति उदासीन रहते हैं।

आगे की राह

- स्थानीय उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप **विकेंद्रीकृत कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहन** देना चाहिए।
- **उच्चतर शिक्षण संस्थानों** को अपने कोर्सेज में अल्पकालिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को समाहित करने के लिए वित्तीय एवं नीतिगत प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।
- प्रशिक्षण अवसंरचना के विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** मॉडल को और मजबूत करना चाहिए।

1.6 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development)

1.6.1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Bachao Beti Padhao: BBBP)

संदर्भ

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना की जनवरी 2025 में **10वीं वर्षगांठ** मनाई।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** देश भर में बालिकाओं के प्रति धारणा में **व्यवहारजन्य और सामाजिक परिवर्तन** लाना।
- **वित्त-पोषण:** जिला स्तरीय घटक के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त-पोषण प्रदान किया जाएगा।
- **नकद लाभ:** इसमें **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** या पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- **कवरेज:** देश के **सभी जिलों** को कवर किया गया है।

अन्य उद्देश्य

- **जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) में प्रति वर्ष 2 अंकों का सुधार** करना।
- **संस्थागत प्रसव के प्रतिशत में सुधार** करना तथा इसे **95% या उससे अधिक** के स्तर पर बनाए रखना।
- पहली तिमाही में **प्रसव-पूर्व देखभाल (ANC) पंजीकरण** में प्रति वर्ष **1% की वृद्धि** करना।
- **प्रति वर्ष माध्यमिक शिक्षा स्तर के तहत नामांकन में 1% की वृद्धि** करना तथा बालिकाओं/ महिलाओं का कौशल विकास करना।
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर **लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर को रोकना।**
- **सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट (MHM)** के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में घटते बाल लिंगानुपात (CSR) की गंभीर समस्या तथा बालिकाओं से जुड़े अन्य जीवन-चक्र संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु की गई थी।
  - यह वृहद **'मिशन शक्ति'** की उप-योजना **'संबल'** का एक अभिन्न अंग है।
- **मुख्य फोकस:** इस योजना का केंद्रीय बिंदु सूचना, प्रेरणा और सशक्तीकरण के माध्यम से समाज में बालिकाओं के प्रति **व्याप्त दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन** लाना है।
- **बाल विवाह की रोकथाम: बाल विवाह जैसी कुरीतियों की निगरानी** करना तथा **उन्हें रोकने हेतु कठोर कदम** उठाना।

- **क्षमता निर्माण:** अग्रिम पंक्ति के **कार्यकर्ताओं, चिकित्सा पेशेवरों, जिला स्तरीय अधिकारियों, जिला परिषद एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA)** जैसे हितधारकों का संवेदीकरण एवं क्षमतावर्धन करना।
- **सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (SBCC): व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रमुख गतिविधियां:**
  - प्रत्येक वर्ष **24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस** मनाना।
    - वर्ष 2008 से प्रतिवर्ष **24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस** के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य **बालिकाओं के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देना तथा बालिकाओं के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना** है।
    - **24 जनवरी 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधान मंत्री** के रूप में शपथ ली थी।
    - अब यह **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP)** योजना की वर्षगांठ का भी स्मरण कराता है, जिसे **22 जनवरी 2015** को शुरू किया गया था।
  - ग्राम पंचायतों और सार्वजनिक स्थलों पर **गुड्डी-गुड्डा बोर्ड का प्रदर्शन** किया जाता है। इसका उद्देश्य लड़कों की संख्या की तुलना में जन्मी लड़कियों की संख्या को प्रदर्शित करना है।
  - लड़कियों के महत्त्व और उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए **माता-पिता/ परिवारों के साथ जागरूकता गतिविधियां शुरू करना।**
- **गतिविधि संबंधी कैलेंडर**
  - जिलों के लिए प्रत्येक महीने में कई गतिविधियां प्रदान करता है।
  - हालांकि, जिले अपने स्थानीय संदर्भ और जरूरतों के आधार पर अपनी गतिविधियां स्वयं भी आयोजित करने का विकल्प चुन सकते हैं।
- **जिला स्तरीय स्कोर कार्ड**
    - यह **मिशन शक्ति MIS** से प्राप्त डेटा के आधार पर बनाया जाएगा।
    - जिला स्कोर कार्ड के अनुसार वार्षिक जिला BBBP रैंकिंग जारी की जाएगी।
    - इस डेटा का उपयोग राज्य के प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाएगा।
- **कार्यान्वयन:** मिशन शक्ति के तहत **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** के सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति, कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए **शीर्ष समिति** होगी।

योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे

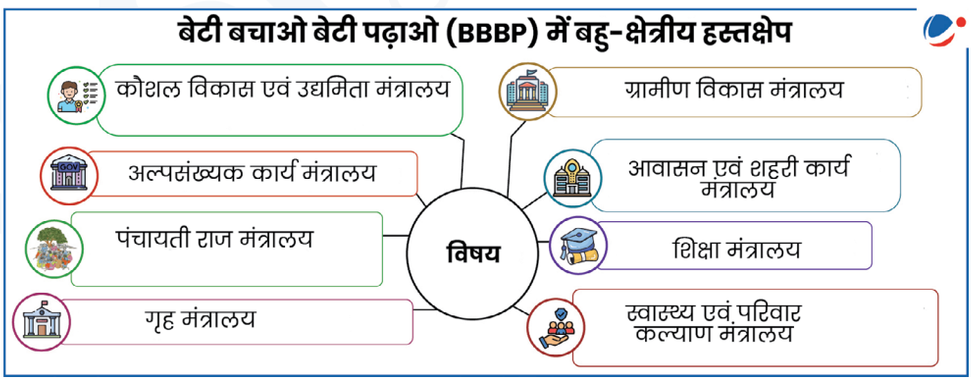

- **निधियों का खराब तरीके से उपयोग करना: संसद की महिला अधिकारिता समिति की रिपोर्ट** के अनुसार, लगभग 79% धन (2016-19) वास्तविक कार्यान्वयन की बजाय **मीडिया अभियानों** पर खर्च किया गया।
- **बालिकाओं की शिक्षा में बाधाएं:** लड़कियों को **दोहरी घरेलू जिम्मेदारियों, स्कूल की अवसंरचना** (शौचालय, वर्दी, किताबें) **की कमी** और **असुरक्षित आवागमन** का सामना करना पड़ता है। इससे शिक्षा तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है।
- **पुत्र की अत्यधिक चाह: NFHS-5** के आंकड़ों से पता चलता है कि सर्वेक्षण में शामिल **80 प्रतिशत** लोगों ने कहा कि वे अपने जीवनकाल में कम-से-कम एक बेटा चाहते हैं।

आगे की राह

- **जागरूकता की बजाय कार्यान्वयन (विशेष रूप से लड़कियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी अवसंरचना)** पर खर्च करना चाहिए।
- मुफ्त परिवहन, वर्दी और स्वच्छता जैसी लक्षित सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए।
- लैंगिक भेदभाव को चुनौती देने और बेटियों के समान महत्त्व को बढ़ावा देने के लिए **समुदाय-आधारित कार्यक्रम** शुरू करने चाहिए।

2. सुर्ख़ियों में रही प्रमुख योजनाएं (FLAGSHIP SCHEMES IN FOCUS)

2.1. प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) - राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन {Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) - National Mission for Financial Inclusion}

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** वित्तीय सेवाओं जैसे कि वहनीय तरीके से एक बुनियादी बचत व जमा खाता, विप्रेषण, ऋण, बीमा एवं पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- **ओवरड्राफ्ट:** 10,000 रुपये तक।
- **दुर्घटना बीमा:** 2 लाख रुपये तक।
- **फोकस:** प्रत्येक ऐसा वयस्क, जिसका बैंक में खाता नहीं है।

अन्य उद्देश्य

- वहनीय लागत पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना।
- लागत को कम करने और अधिक लोगों को शामिल करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इसे **2014** में शुरू किया गया था। यह वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए **राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन** है।

PMJDY के मूल सिद्धांत

बैंकिंग सेवा से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ना- बुनियादी बचत बैंक जमा (BSBD) खाता खोलना, जिसके लिए न्यूनतम कागजी प्रक्रिया, KYC में छूट, e-KYC, कैंप मोड में खाता खोलना, जीरो बैलेंस और जीरो चार्ज/ शुल्क की सुविधा शामिल है।

वंचितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना- मर्चेंट लोकेशन (दुकानों आदि) पर नकद निकासी और भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना। साथ में 2 लाख रुपये का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करना।

वित्तीय सुविधा से वंचित लोगों को वित्त प्रदान करना- सूक्ष्म-बीमा, उपभोग के लिए ओवरड्राफ्ट की सुविधा, माइक्रो-पेंशन एवं माइक्रो-क्रेडिट जैसे अन्य वित्तीय उत्पाद।

- **अपनाए गए दृष्टिकोण:**
  - **खोले गए नए खाते** अब बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली में **ऑनलाइन खाते हैं।**
  - RuPay डेबिट कार्ड या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) के माध्यम से ऑनलाइन **इंटर-ऑपरेबिलिटी की सुविधा।**
  - **फिक्स्ड-पॉइंट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट।**
  - KYC की बोझिल प्रक्रियाओं के स्थान पर **सरलीकृत KYC/ e-KYC**

- **RuPay कार्ड पर बीमा लाभ:** RuPay कार्ड पर उपलब्ध निःशुल्क दुर्घटना बीमा की राशि को ₹1 लाख से बढ़ाकर **₹2 लाख** कर दिया गया है। यह लाभ उन PMJDY खाताधारकों को मिलेगा, जिन्होंने अपना खाता **28 अगस्त, 2018** के बाद खुलवाया है।
- **ओवरड्राफ्ट (OD) की सुविधा:** खाताधारकों के लिए **₹2,000** तक की बिना शर्त ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा का प्रावधान है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिकतम आयु सीमा **65 वर्ष** निर्धारित की गई है।
- **निष्क्रिय PMJDY खाते:** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत, यदि किसी PMJDY खाते में लगातार **दो वर्षों तक** ग्राहक द्वारा कोई भी लेन-देन नहीं किया जाता है, तो उसे **निष्क्रिय** घोषित कर दिया जाता है।

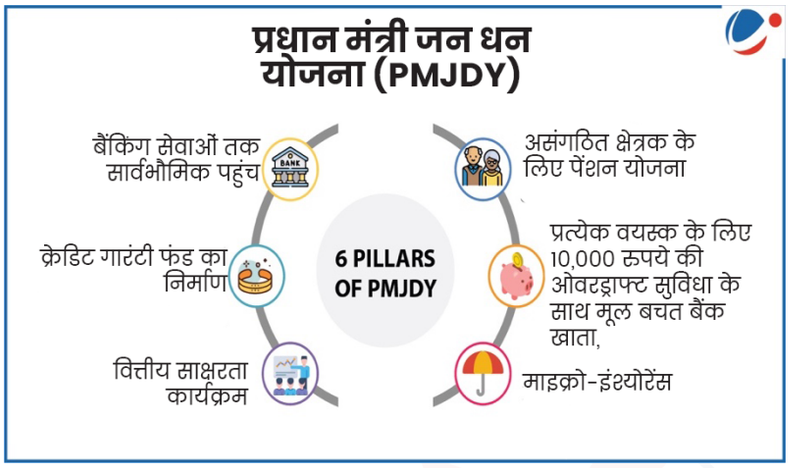

- **जन धन दर्शक ऐप:** यह एक नागरिक-केंद्रित मोबाइल ऐप है, जिसे नागरिकों को अपने आस-पास **बैंक शाखाओं, ATM, बैंक मित्रों और डाकघरों जैसे बैंकिंग सेवा केंद्रों** का पता लगाने में सहायता करने के लिए विकसित किया गया है।

अन्य योजनाओं के अंतर्गत कवरेज: PMJDY खाता धारक स्वतः ही कई अन्य प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, जैसे **प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY) और मुद्रा योजना** के लाभ प्राप्त करने के पात्र हो जाते हैं।

2.2. मिशन शक्ति: महिलाओं के संरक्षण एवं सशक्तीकरण हेतु एक एकीकृत मिशन (Mission Shakti: An Integrated Women Empowerment Programme)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** महिलाओं को उनके जीवन-चक्र के प्रत्येक चरण में **सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करना तथा उनका सशक्तीकरण** करना।
- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- **निगरानी: महिला सशक्तीकरण हब (HEW)** योजना के प्रदर्शन की निगरानी करेगा।
- **कार्यान्वयन अवधि:** वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक।

अन्य उद्देश्य

- महिलाओं का सशक्तीकरण करना, उन पर **देखभाल का बोझ कम** करना तथा कौशल विकास को बढ़ावा देकर **महिला श्रम बल में भागीदारी बढ़ाना** आदि।
- **हिंसा से प्रभावित** महिलाओं को निरंतर **देखभाल, समर्थन और सहायता** प्रदान करना।
- लोगों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना, संबंधित पदाधिकारियों की **क्षमता का निर्माण करना एवं प्रशिक्षण देना** तथा अन्य मंत्रालयों के साथ **समन्वय स्थापित** करना।
- महिलाओं और बालिकाओं के प्रति **सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन** लाने के लिए जनता में जागरूकता पैदा करना।

प्रमुख विशेषताएं

इसमें दो उप-योजनाएं शामिल हैं:

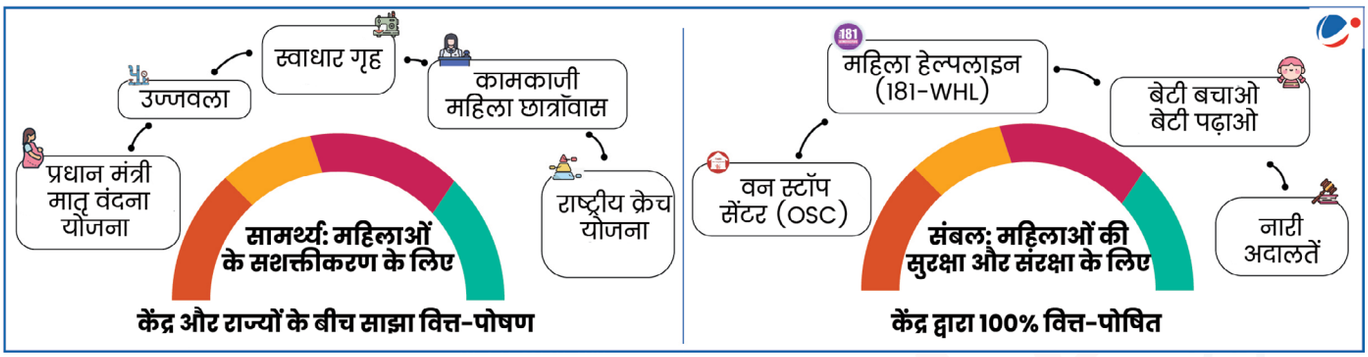

संबल: महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए

- **वन स्टॉप सेंटर (OSC):** निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर **हिंसा से प्रभावित एवं संकटग्रस्त महिलाओं** को एक ही छत के नीचे **एकीकृत समर्थन व सहायता प्रदान करना।**
- **महिला हेल्पलाइन (WHL):** पुलिस/ अग्निशमन/ एंबुलेंस जैसी **सभी आपातकालीन सेवाओं** और OSC के साथ समर्थन एवं सूचना चाहने वाली **महिलाओं के लिए टोल-फ्री 24 घंटे की दूरसंचार सेवा।**
- **वित्त-पोषण:** 100% केंद्रीय सहायता **निर्भया फंड** के माध्यम से प्रदान की जाती है।
- **नारी अदालतें:**
  - महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले गौण मामलों (उत्पीड़न, धमकाना, आदि) को **ग्राम पंचायत स्तर** पर सुलझाने के लिए **वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र** मौजूद है।
  - प्रतिबद्ध और सामाजिक रूप से सम्मानित महिलाओं को मिलाकर **'नारी अदालतें या महिला समूह' गठित किए जाएंगे।**

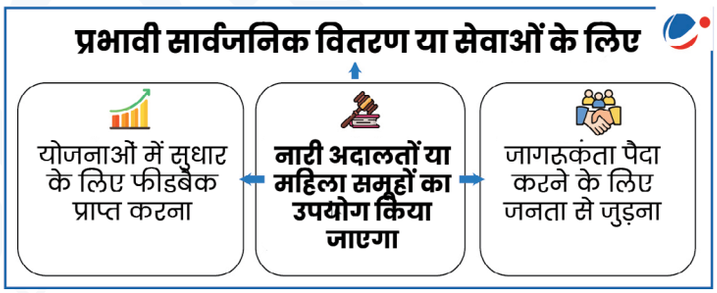

  - **चयनित सदस्यों को कोई पारिश्रमिक नहीं** दिया जाएगा।
  - बैठकों के **आयोजन और सदस्यों को बैज/ वर्दी प्रदान करने** का खर्च मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।
    - **नारी अदालतों का कोई कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं** है। ये सभी लड़कियों और महिलाओं को उनके स्थानीय समुदाय के भीतर उनकी शिकायतों के लिए सहायता प्रदान करती है।
  - **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP):**
    - बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेपों के माध्यम से **देश के सभी जिलों को कवर किया गया है** (पहले केवल 405 जिलों को शामिल किया गया था)।
    - **शून्य-बजट विज्ञापन** का लक्ष्य।
    - **जमीनी स्तर पर प्रभाव** डालने वाली गतिविधियों पर अधिक व्यय करना, जैसे- लड़कियों के बीच खेल को बढ़ावा देना, **आत्मरक्षा शिविर** आदि।
- **सामर्थ्य: महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए**
  - **शक्ति सदन:**
    - **एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह:** इसमें पूर्ववर्ती **स्वाधार गृह एवं उज्ज्वला योजना** को शामिल किया गया है।
    - यह **निराश्रित, संकटग्रस्त व वंचित महिलाओं और तस्करी की पीड़ित महिलाओं** आदि के लिए एक घर होगा। शक्ति सदन के निवासियों को उनकी बुनियादी जरूरतों के लिए भोजन, कपड़े, आश्रय और अन्य सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

अन्य प्रमुख सहायता

- **वित्तीय सहायता:** निवासियों के लिए बैंक खाता खोला जाएगा
  - **प्रत्येक निवासी के खाते में प्रति माह 500 रुपये जमा किए जाएंगे। लिए बैंक खाता खोला जाएगा**
  - **खाताधारक घर में रहने के दौरान यह** राशि **नहीं निकाल सकेंगे।**
- **निवासियों के बच्चों के लिए सहायता:** निवासियों के लिए बैंक खाता खोला जाएगा
  - **किसी भी उम्र की अविवाहित लड़कियों और 12 वर्ष तक के लड़कों** को रहने की अनुमति होगी।
  - **12 वर्ष से अधिक उम्र के लड़कों को किशोर न्याय अधिनियम/ एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS)** के तहत संचालित बाल गृहों में स्थानांतरित किया जाएगा।

- **मानव तस्करी-रोधी यूनिट्स:** जिलों में तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण की पीड़ितों के 'पुन: एकीकरण एवं प्रत्यावर्तन' की सुविधा के लिए स्थापित की गई हैं।
- **विधवाओं के लिए गृह:**
  - यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक का घटक** है।
  - 1000 विधवाओं को सुरक्षित आवास प्रदान करने हेतु आवास उपलब्ध कराना।
  - स्वास्थ्य सेवाओं, पौष्टिक भोजन, कानूनी और परामर्शी सेवाओं की सुविधाएं।
- **सखी निवास - कामकाजी महिला छात्रावास:** कामकाजी महिलाओं और उच्चतर शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त कर रही अन्य महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना, जिन्हें व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवारों से दूर रहना पड़ता है।

एकीकृत पैकेज (मिशन पोषण 2.0 के साथ अभिसरण में)

- डे केयर सुविधाएं
- 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन
- 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री-स्कूल एजुकेशन
- पूरक पोषण (स्थानीय स्रोत से प्राप्त)
- विकास संबंधी निगरानी और स्वास्थ्य जांच
- टीकाकरण

- **महिला सशक्तीकरण हब (HEW):**
  - HEW की स्थापना **राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर** पर की जा रही है।
  - इसका उद्देश्य केंद्र, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए योजनाओं एवं कार्यक्रमों के **अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण (Convergence)** को सुगम बनाना है।
- **जेंडर बजटिंग: जेंडर बजटिंग, अनुसंधान, प्रकाशन और निगरानी योजनाओं** को इस घटक के तहत शामिल किया गया है।
  - **आर्थिक सशक्तीकरण के लिए गैप फंडिंग** का एक नया घटक भी जोड़ा गया है।
  - **महिला शक्ति केंद्र (MSK) और महिला पुलिस स्वयंसेवी (MPV)** की उप-योजनाएं बंद कर दी गई हैं।
- **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):** गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को मजदूरी के नुकसान के लिए आंशिक मुआवजे हेतु नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है।

अन्य प्रमुख प्रावधान

- **अभिसरण:** वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए योजनाओं और प्रयासों के माध्यम से **कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से अभिसरण रणनीति** का प्रावधान किया गया है।
- **प्रस्तावों का अनुमोदन:** राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक **कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (PAB)** का गठन किया जाएगा।
- **जियो-टैगिंग:** मंत्रालय द्वारा समर्थित सभी संस्थानों को **रियल टाइम के आधार पर मानचित्रण, विश्लेषण और निगरानी के लिए जियो-टैग** किया जाएगा।
- **सामाजिक लेखा-परीक्षण (Social Audit):** उचित साक्ष्य एकत्र करने के तरीकों के माध्यम से योजना के तहत सेवाओं का लाभ उठाने वालों से **प्रत्यक्ष फीडबैक** भी प्राप्त किया जाएगा।

- **राज्य सरकारों द्वारा पूरी की जाने वाली अनिवार्य शर्तें**
  - **मंत्रालय की सभी योजनाओं में सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS)** के आधिकारिक नाम [स्थानीय भाषा में सही अनुवाद स्वीकार्य है] और CSS की ब्रांडिंग के संबंध में केंद्र द्वारा जारी किसी भी **दिशा-निर्देश/ निर्देश का पूर्ण अनुपालन** किया जाएगा।
  - CSS के तहत फंड जारी करने की नई प्रक्रिया के संबंध में **व्यय विभाग के निर्देशों या समय-समय पर जारी किसी अन्य निर्देश का पूर्ण अनुपालन** किया जाएगा।

नोट:

- जेंडर बजटिंग को भारत सरकार द्वारा **2005-06 में लैंगिक समानता** को बढ़ावा देने और सरकारी योजना एवं बजट के माध्यम से निरंतर निवेश सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण के रूप में अपनाया गया था।
  - लैंगिक असमानताओं को कम करने के लिए **लैंगिक समानता हेतु वित्त-पोषण** मुख्य समस्या है और जेंडर बजटिंग इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण रणनीति है।
- **PMMVY** के बारे में अधिक जानकारी के लिए **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** के तहत **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013** देखें।

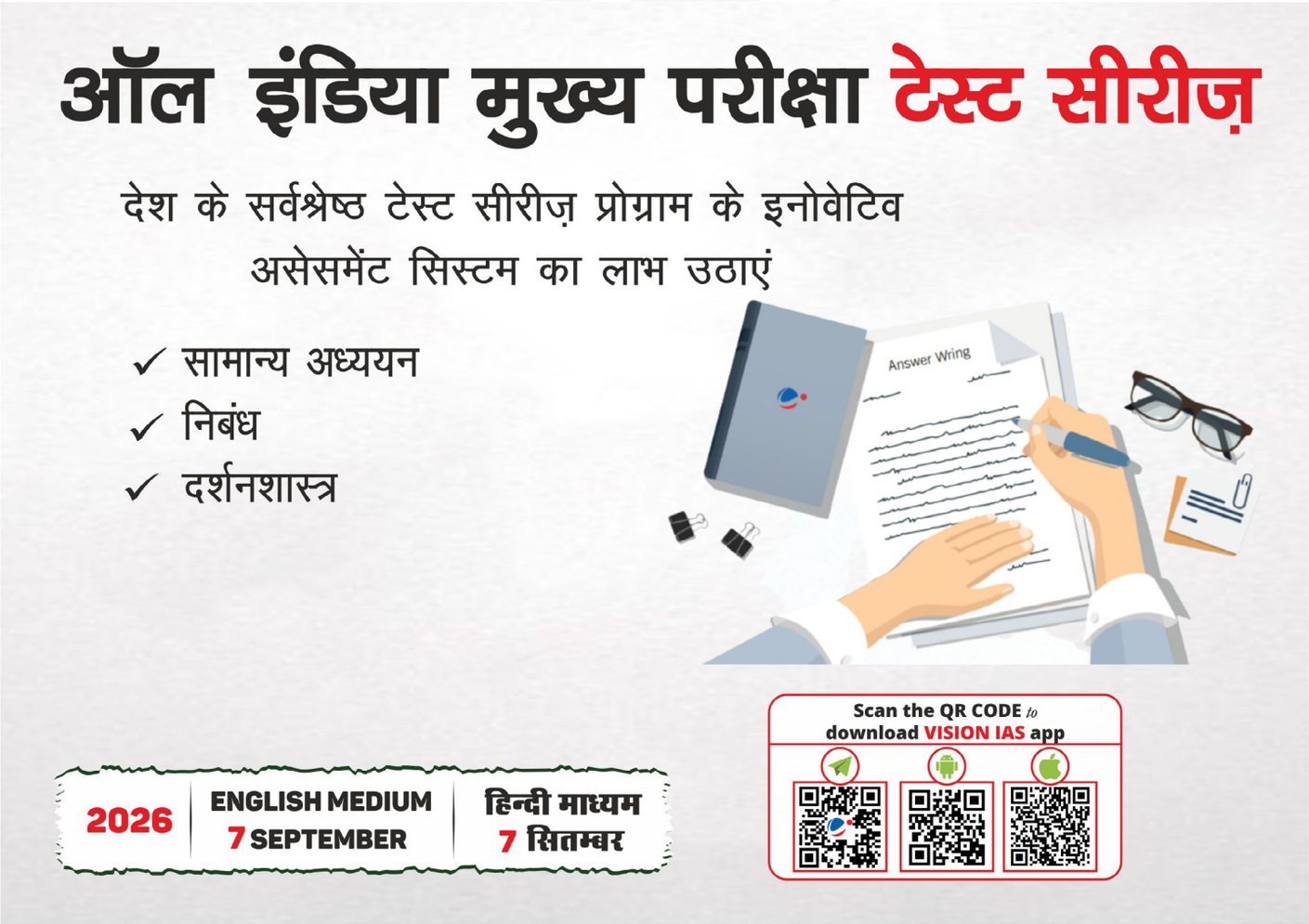

3. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING)

प्रश्न 1. डिजिटल कृषि मिशन (DAM) के तहत, निम्नलिखित पहलों में से-कौन सी किसानों के लिए "आधार" के समान डिजिटल सार्वजनिक वस्तु के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन की गई है?

(a) कृषि निर्णय सहायता प्रणाली
(b) एग्रीस्टैक
(c) राष्ट्रव्यापी मृदा संसाधन मानचित्रण
(d) डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण

प्रश्न 2. पीएम-आशा के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसमें MSP और बाजार मूल्य के बीच के अंतर की भरपाई के लिए किसानों को मुआवजा देने हेतु मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (PDPS) शामिल है।
2. इसके तहत तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% खरीद अनिवार्य है ।
3. यह केंद्र प्रायोजित एक योजना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2, और 3

प्रश्न 3. प्रधान मंत्री फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) निम्नलिखित में से किस जोखिम को कवर करती है?

(a) केवल कटाई के बाद होने वाले नुकसान
(b) केवल सूखे से संबंधित फसल विफलताएँ
(c) बुवाई के पूर्व से लेकर कटाई के बाद तक के नुकसान
(d) केवल कीटों के हमले

प्रश्न 4. एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के तहत, 25 वर्ष की सेवा के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन कितनी है?

(a) औसत मूल वेतन का 40%
(b) औसत मूल वेतन का 50%
(c) औसत मूल वेतन का 60%
(d) औसत मूल वेतन का 75%

प्रश्न 5.आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (ABHIM) का/के उद्देश्य क्या है/हैं?

1. शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ बनाना।
2. महामारी अनुसंधान के लिए जैव-सुरक्षा स्तर III की प्रयोगशालाएं स्थापित करना।
3. प्रति परिवार 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2, और 3

प्रश्न 6. निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का घटक नहीं है?

(a) जननी सुरक्षा योजना
(b) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
(c) स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (HWCs)
(d) सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम

प्रश्न 7. जल जीवन मिशन (JJM) का लक्ष्य 2024 तक निम्नलिखित में से क्या हासिल करना है?

(a) 100% ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराना
(b) सभी जल-संकटग्रस्त जिलों में बांधों का निर्माण करना
(c) भूजल स्रोतों की जगह विलवणीकरण संयंत्रों का उपयोग करना
(d) शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति का निजीकरण करना

प्रश्न 8. जल के अंतर्गत जीवन मिशन, पानी समितियों की क्या भूमिका है?

(a) औद्योगिक जल उपयोग की निगरानी करना
(b) ग्राम जल आपूर्ति प्रणालियों का संचालन और रखरखाव करना
(c) भूजल निकासी संबंधी लाइसेंस को विनियमित करना
(d) अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों का पर्यवेक्षण करना

प्रश्न 9. प्रधानमंत्री-सूर्य घर:मुफ्ती बिजली रूफटॉप सोलर लगवाने के लिए सब्सिडी निम्नलिखित आधार पर भिन्न होती है:

(a) घरेलू आय के स्तर पर
(b) संपत्ति के आधार पर
(c) औसत मासिक बिजली खपत के आधार पर
(d) शहरी बनाम ग्रामीण अवस्थिति के आधार पर

प्रश्न 10. स्वामित्व योजना ग्रामीण संपत्तियों के मानचित्रण के लिए किस तकनीक का उपयोग करती है?

(a) उपग्रह इमेजरी
(b) कृत्रिम बुद्धिमत्ता
(c) ब्लॉकचेन
(d) ड्रोन सर्वेक्षण

प्रश्न 11. स्वामित्व योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

(a) निशुल्क LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना
(b) ग्रामीण आबादी वाली भूमि के लिए संपत्ति कार्ड जारी करना
(c) स्मार्ट शहरों का निर्माण करना
(d) जैविक खेती को बढ़ावा देना

प्रश्न 12. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत योजना 2.0 में प्रवासी परिवारों के लिए कौन-सी अतिरिक्त सुविधा शुरू की गई?

(a) मुफ्त बिजली कनेक्शन
(b) सब्सिडी वाली CNG किट
(c) राशन कार्ड या पते के प्रमाण अनिवार्यता का समापन
(d) निशुल्क सौर पैनल

प्रश्न 13. मनरेगा के तहत यह अनिवार्य है कि कम से कम एक तिहाई श्रमिक निम्नलिखित हों:

(a) वरिष्ठ नागरिक
(b) कुशल श्रमिक
(c) दिव्यांग व्यक्ति
(d) महिलाएं

प्रश्न 14. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) में निम्नलिखित में से कौन-से घटक शामिल हैं?

1. अल्पकालिक प्रशिक्षण (STT)
2. पूर्व शिक्षा की मान्यता (RPL)
3. प्रशिक्षुता कार्यक्रम

सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2, और 3

प्रश्न 15. बेटी बचाओ बेटी पढाओ (BBBP) योजना निम्नलिखित पर केंद्रित है:

1. जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार करना (SRB)
2. लड़कियों में स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाना
3. बालिकाओं को नकद अंतरण प्रदान करना

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2, और 3

प्रश्न 16. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य मनरेगा के अंतर्गत अनुमत नहीं है?

(a) ग्रामीण सड़कों का निर्माण
(b) जल संरक्षण परियोजनाएँ
(c) निजी कृषि कुओं की खुदाई
(d) बाढ़ नियंत्रण उपाय

प्रश्न 17. सुकन्या समृद्धि खाता (SSA) बालिका के लिए तब तक खोला जा सकता है जब तक वह निम्न आयु की न हो जाए:

(a) 18 वर्ष
(b) 12 वर्ष
(c) 15 वर्ष
(d) 10 वर्ष

प्रश्न 18. पीएम-आशा के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसमें शीघ्र खराब होने वाली बागवानी फसलों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) भी शामिल है।
2. मूल्य घाटा भुगतान योजना (पीडीपीएस) किसानों को एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच के अंतर की भरपाई करती है।

निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

प्रश्न 19. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के संबंध में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष बाद परिपक्व होता है।
2. यह योजना 2015 में शुरू की गई थी।

निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

प्रश्न 20. कौशल भारत कार्यक्रम के बारे, में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) में श्रमिकों के मौजूदा कौशल को प्रमाणित करने के लिए पूर्व शिक्षा को मान्यता (RPL) घटक शामिल है।
2. जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना विशेष रूप से इंजीनियरिंग स्नातकों को उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर

1	2	3	4
उत्तर: B	**उत्तर: A**	**उत्तर: C**	**उत्तर: B**

5	6	7	8
उत्तर: A	**उत्तर: C**	**उत्तर: A**	**उत्तर: B**

9	10	11	12
उत्तर: C	**उत्तर: D**	**उत्तर: B**	**उत्तर: C**

13	14	15	16
उत्तर: D	**उत्तर: A**	**उत्तर: A**	**उत्तर: C**

17	18	19	20
उत्तर: D	**उत्तर: C**	**उत्तर: B**	**उत्तर: A**

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

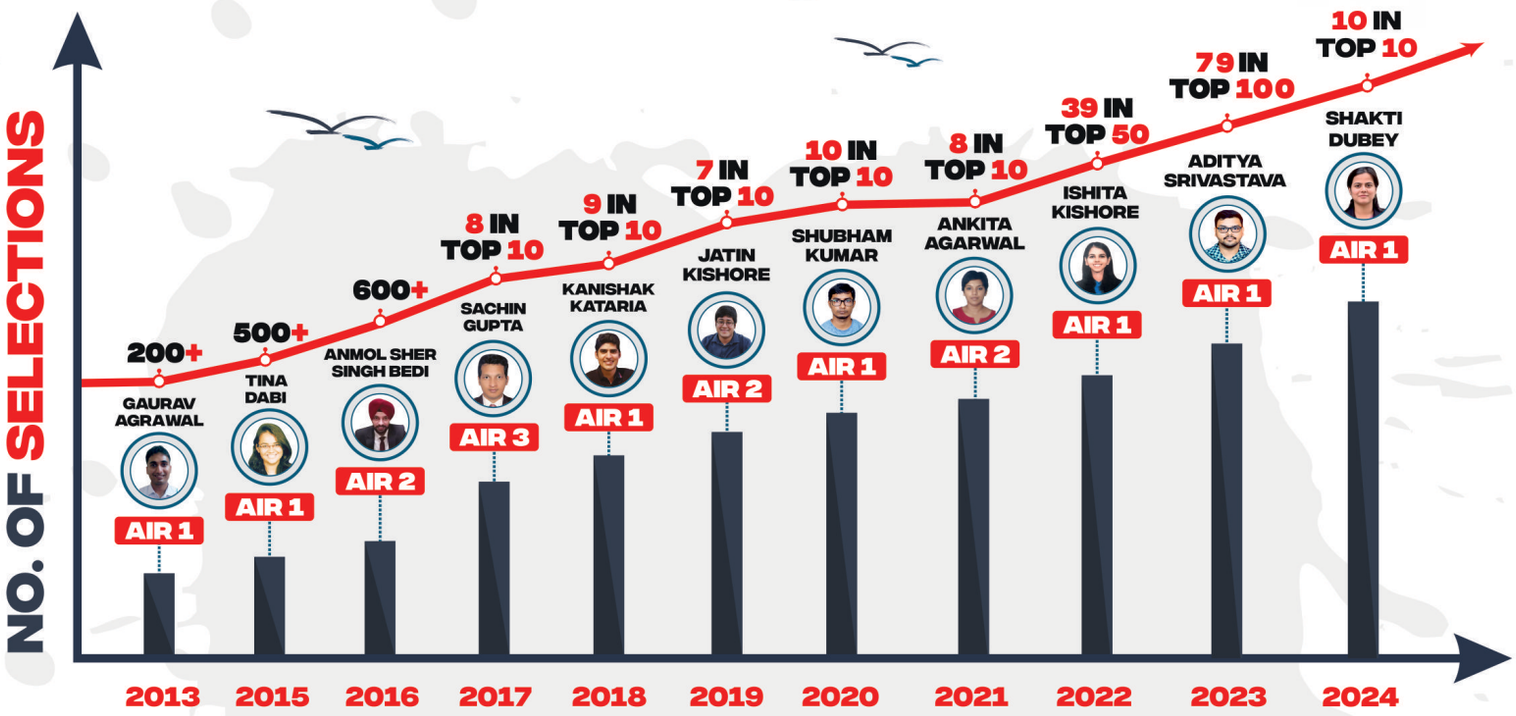

LIVE/ONLINE
Classes Available
www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI : 26 AUGUST, 2 PM | 30 AUGUST, 8 AM | 9 SEPT, 11 AM
18 SEPT, 8 AM | 25 SEPT, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 29 JULY, 6 PM | 22 AUG, 6 PM

हिन्दी माध्यम | 11 सितम्बर, 2 PM

AHMEDABAD: 12 JULY | BENGALURU: 25 AUG | BHOPAL: 18 AUG | CHANDIGARH: 18 JUNE
HYDERABAD: 3 SEP | JAIPUR: 5 & 10 AUG | JODHPUR: 10 AUG | LUCKNOW: 29 AUG | PUNE: 14 JULY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI : 11 सितम्बर, 2 PM | JAIPUR : 20 जुलाई | JODHPUR : 15 सितम्बर

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: GMMR 33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi – 110005 | **CONTACT:** 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

Heartiest Congratulations

to all Successful Candidates

10 in **TOP 10** Selections in **CSE 2024**

from various programs of **Vision IAS**

1 AIR

Shakti Dubey

2 AIR

Harshita Goyal

GS Foundation Classroom Student

3 AIR

Dongre Archit Parag

GS Foundation Classroom Student

4 AIR

Shah Margi Chirag

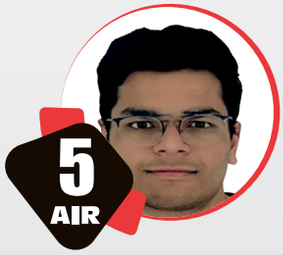

5 AIR

Aakash Garg

6 AIR

Komal Punia

7 AIR

Aayushi Bansal

8 AIR

Raj Krishna Jha

9 AIR

Aditya Vikram Agarwal

10 AIR

Mayank Tripathi

हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में

137 AIR

Ankita Kanti

182 AIR

Ravi Raaz

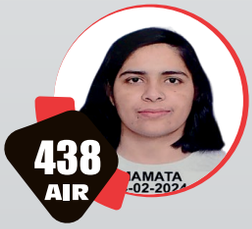

438 AIR

Mamata

448 AIR

Sukh Ram

509 AIR

Amit Kumar Yadav

HEAD OFFICE
33, Pusa Road,
Near Karol Bagh Metro Station,
Opposite Pillar No. 113,
Delhi – 110005

DELHI

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor,
Mukherjee Nagar, Opposite Punjab
& Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office,
above Gate No. 2, GTB Nagar
Metro Building, Delhi – 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in /@visioniashindi /visionias.upsc /vision_ias_hindi/ /hindi_visionias

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची